छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492007

पंजीयन क्रमांक. 225 दिनांक 31.10.2000

सातवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 30 मार्च 2007

समय : दोपहर 1.00 बजे

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, व्ही.आई.पी. एस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492-007
कार्यालय दूरभाष : 2283262, 2283267, 2283593 फैक्स : 0771-2283594

क्रमांक/वनो./संघ/सह/साधा.सभा/2007/4552 रायपुर/दिनांक 15/03/2007

प्रति,

1. माननीय अध्यक्ष/संचालक गण,
छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर
2. अंशधारी सदस्य संस्थाएं समस्त,
3. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर

विषयः- छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर की सातवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन दिनांक 30.03.2007 की संशोधित सूचना ।

छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर की सातवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन दिनांक 30.03.2007 गुरूवार को अपरान्ह 1:00 बजे, स्थान होटल बेबीलॉन, व्ही.आई.पी.रोड, रायपुर में निम्नलिखित कार्य सूची पर विचार करने के लिए आहूत हैंः-

कार्यसूची

विषय क्रमांक -1 छठवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन दिनांक 25.03.06 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

विषय क्रमांक -2 छठवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन के निर्णय का पालन प्रतिवेदन ।

विषय क्रमांक -3 वित्तीय वर्ष 2006-07 का कार्यक्रम तथा अनुमानित व्यय ।

विषय क्रमांक -4 वित्तीय वर्ष 2007-08 के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का अनुमोदन ।

विषय क्रमांक -5 वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये बजट की स्वीकृति ।

विषय क्रमांक -6 वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 की स्थिति ।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

सम्मिलन के लिये नियत समय पर गणपूर्ति (कोरम) नहीं होने की दशा में सम्मिलन स्थगित किया जावेगा, और इस प्रकार स्थगित सम्मिलन उसी दिन, उसी स्थान पर, आधे घन्टे बाद अपरान्ह 1:30 बजे होगा ।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सम्मिलन में उपस्थिति प्रार्थनीय हैं ।

सही/-
(एस.के.एस.सिसोदिया)
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण

लघु वनोपज संघ की सातवी वार्षिक साधारण सभा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ । छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुए 6 वर्ष पूर्ण हो चुका हैं । इतनी अल्प अवधि में इस राज्य ने तेजी से जो विकास किया हैं, वह बहुत संतोषजनक कहा जा सकता हैं । जिस गति से राज्य का विकास अन्य क्षेत्रों में हुआ हैं । उसी गति से लघु वनोपज के क्षेत्र में भी विकास करने के लिए अभी और प्रयासों की आवश्यकता हैं । छत्तीसगढ़ को प्रकृति की अलौकिक देन हमारी वन सम्पदाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं । लघु वनोपज संघ तथा इससे सम्बद्ध वनोपज सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों में इस प्रकार के परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता हैं जिससे लघु वनोपज संग्रहण के कार्य में सम्बद्ध व्यक्तियों की आय में समुचित वृद्धि हो सके । प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने की दिशा में अभी हमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता हैं । विकास को सार्थक एवं परिणामी बनाना हैं । वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने छ.ग. विधान सभा में राज्य का जो बजट प्रस्तुत किया हैं वह इस दृष्टि से ऐतिहासिक हैं कि वह परिणामी बजट हैं । हमें भी लघु वनोपज संग्राहकों के लिए परिणाममूलक कार्य करने की सार्थक पहल करनी चाहिए । हमारा यह संघ वित्तीय प्रबंधन की ओर उचिव ध्यान देता हैं, तथा राज्य सरकार भी समय–समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं । मूल्य संवर्धन के द्वारा इस दिशा में आशातीत सफलता मिल सकती हैं ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2007 में 17.95 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का अनुमान हैं । संग्रहण सीजन 2006 में 14.72 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हुआ था और इसके विक्रय से 140.02 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी । संग्रहण वर्ष 2007 में तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 450 रूपये प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 500 रूपये प्रति मानक बोरा किया गया हैं । इससे संग्राहकों को लगभग 9 करोड़ रूपये अधिक संग्रहण पारिश्रमिक प्राप्त होगा ।

संग्रहण वर्ष 2007 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्तें की अनुमानित मात्रा 17.95 लाख मानक बोरा का अग्रिम निर्वर्तन कर केता नियुक्त किये गये हैं । इसके विक्रय से लगभग रू. 340.51 की राशि प्राप्त होगी, तथा लगभग 200 करोड़ रूपये का शुद्ध लाभ होगा । तेन्दूपत्ता के व्यवसाय में आशातीत सफलता के लिए मैं आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । इससे वर्ष 2007 सीजन तेन्दूपत्ता संग्राहकों को लगभग रूपये 140 करोड़ प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होंगे ।

सरकार द्वारा निर्णय लिया गया हैं कि वर्ष 2005 के तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 70 प्रतिशत राशि लगभग 24.59 करोड़ रूपये प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में संग्राहकों को वितरित की जावेगी । संघ द्वारा यह राशि जिला वनोपज सहकारी यूनियनों को उपलब्ध करा दी गई हैं । समस्त जनप्रतिनिधियों, पंच/सरपंच तथा ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों से मेरा विन्रम अनुरोध हैं कि प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण के दौरान उपस्थित रहने का कष्ट करें ताकि वितरण में पारदर्शिता रहे ।

विगत वर्ष की भांति वर्ष 2007 में शासन ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों के शारीरिक कष्ट निवारण की दृष्टि से प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार को उनकी इच्छा अनुसार महिला या पुरूष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका प्रदान करने का निर्णय

लिया हैं । इस हेतु राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज संघ को 13 करोड़ रूपये उपलब्ध करा दिया गया हैं । चरणपादुकाएं क्रय के लिए गठित क्रय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर लगभग 12.74 लाख जोड़ी चरणपादुका क्रय किया जाना हैं । हमारा यह प्रयास हैं कि शीघ्र ही तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार को चरणपादुका का वितरण कर दिया जाए ।

प्रदेश में अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुये अराष्ट्रीयकृत वनोपज उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता आधारित संग्रहण, मूल्य वर्धन हेतु प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देते हुए इससे जुड़े संग्राहक जो कि वन समितियों एवं प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के सदस्य हैं, को अतिरिक्त आय प्रदाय करने हेतु संघ के द्वारा विशेष प्रयास जारी है । उपरोक्त कार्यों में लक्ष्य के अनुसार सफलता प्राप्त करने हेतु संसाधन सर्वेक्षण कर लक्ष्य प्रजाति को चिन्हांकित करते हुये संवर्धन एवं मूल्य वर्धन कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज संवर्धन एवं विकास हेतु वर्ष 2006–07 में यूरोपियन कमीशन की सहायता से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुख कार्य परियोजना, लागत रू. 21.20 करोड़ वर्ष 2006–07 से प्रारंभ की गई है । इस हेतु वर्ष 2006–07 के वन विभाग के स्वीकृत बजट में नवीन शीर्ष का गठन कर रु. 3.28 करोड़ का प्रावधान किया गया है । लघु वनोपज का संग्रहण/प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्य जैसे कि संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टप्राइजेस स्थापना, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य कियान्वित किये जायेंगे । इससे राज्य के लघु वनोपज संग्राहकों को अतिरिक्त रोजगार एवं आय प्राप्त होगी । उपरोक्त प्रयासों को सतत् रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिक वनोपज समिति/वन समिति/स्व–सहायता समूहों को सशक्त किया जायेगा । इसके अंतर्गत तीन वर्षों में राज्य की ऐसी 200 प्राथमिक वनोपज समितियों का चयन किया जायेगा, जो संसाधन एवं क्षमता के मामले में दक्ष हो । इस प्रकार क्षमता विकास करने पर अन्य समितियों में भी प्रतिस्पर्धा हो सकेगी ।

वर्ष 2006–07 में स्थानीय स्व सहायता समूह/वन समिति/प्राथमिक वनोपज समिति के माध्यम से वनोपज संग्रहण/प्रसंस्करण एवं विपणन किये जाने बाबत् संघ द्वारा प्रयास किया गया हैं । विभिन्न स्त्रेंतो द्वारा प्राप्त राशि से माहुल पत्ता, शहद, इमली, तैलीय बीज, आंवला तथा वनौषधी आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किये जा कर, वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू. 80.38 लाख का उत्पादन किया गया है । विपणन कार्य में गति लाने हेतु वर्ष 2006–07 में 6 वृत्त मुख्यालयों पर NWEP मार्ट स्थापित किये गये हैं तथा प्रत्येक जिला यूनियन स्तर पर संजीवनी स्थापित की जा रही हैं । हर्बल विशेषज्ञों के माध्यम से पैकेजिंग, लेबलिंग तथा प्रोडक्ट प्रमोशन में सुधार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । इसके साथ क्षमता विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत कुल 5752 कृषक/संग्राहक लाख, कुल्लू गोंद, शहद, औषधि खेती एवं माहुल पत्ता आदि विषयों में प्रशिक्षित किये गये हैं । इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2007–08 में विभिन्न स्त्रोतों से राशि प्राप्त कर, कुल रू. 21.53 करोड़ विभिन्न घटकों में व्यय किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है । इन प्रयासों से मुझे आशा है कि अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास में अच्छी गति आयेगी ।

संग्राहक परिवारों के आर्थिक विकास के साथ–साथ उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम सदैव प्रयासरत हैं । संघ में सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना लागू हैं । इस योजना में वर्ष 2006–07 में 5.97 करोड़ रूपये जीवन बीमा

निगम को प्रीमियम भुगतान किया गया हैं तथा जीवन बीमा निगम द्वारा दिसंबर 2006 तक 18514 प्रकरणों का निराकरण कर रूपये 8.63 करोड़ की राशि संग्राहकों के आश्रितों को वितरित की गई है । इस प्रचलित बीमा योजना के स्थान पर तेन्दूपत्ता संग्राहकों के परिवार के मुखिया के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से **''जनश्री''** बीमा योजना लागू की जा रही हैं, योजना हेतु प्रति सदस्य प्रति वर्ष 100/– रूपये प्रीमियम भुगतान किया जाएगा । **''जनश्री''** बीमा योजना में परिवार के मुखिया के साधारण मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को रूपये 20,000/– दुर्घटनाजन्य मृत्यु पर रूपये 50,000/– आंशिक अपंगता पर रूपये 25,000/– एवं पूर्ण अपंगता की दशा में रूपये 50,000/– देय होगा, इसके अतिरिक्त योजना के सदस्यों के दो बच्चों को यदि वे नवमी से बारहवी कक्षा (आई.टी.आई. सहित) में अध्यनरत हो तो 300/– रूपये प्रति विमाही की दर से छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान हैं । शासन द्वारा वर्ष 2006 –2007 व 2007–2008 में इस योजना के कियावन्यन के लिए प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि 9.4475 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान प्रत्येक वर्ष में किया गया हैं ।

सहकारिता की भावना से वनोपज संघ तथा वन/सहकारिता विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा संग्राहक एवं संघ के हित में किये जा रहे निष्ठापूर्वक कार्यों की मैं, प्रशंसा करता हूं । उनसे यह अपेक्षा है कि वे सदैव लघु वनोपज संग्राहकों के हित को सर्वोपरि रखकर कार्य करें । संघ के कार्यों के संपादन हेतु अमले की कमी को दूर करने के लिए मेरे द्वारा सतत् प्रयास किये गये है । संघ के स्टाफिंग पैटर्न की स्वीकृति के पश्चात रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही की गई । डाटा एन्ट्री आपरेटर के रिक्त 37 पदों में से 35 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी हैं । उपयुक्त विकंलाग उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण दो पद रिक्त हैं । सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई हैं । प्रतिनियुक्ति पर पदस्थिति के लिए सहकारिता तथा वन विभाग से अमला मांगा गया हैं । संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने तथा चतुर्थ श्रेणी के सेवायुक्तों की सेवानिवृत्ति आयु 60 के स्थान पर 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया हैं । अधिकारियों/कर्मचारियों की मांगों पर सदैव सहानूभुति पूर्वक विचार कर उनके हितों का सदैव ध्यान रखा जाता हैं ।

आभार

यह संघ लघु वनोपज तथा वनौषधियों के विकास, संग्रहण, प्रसंस्करण, संवर्धन, मूल्यवर्द्धन, एवं प्रशिक्षण की गतिविधियों से लगभग 13 लाख लघु वनोपज संग्राहक परिवार के आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण एवं विकास में सार्थक योगदान कर रहा है । यह आप सभी के तथा इन गतिविधियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कठोर परिश्रम, सेवाओं तथा सद्भावनाओं से ही संभव हो पा रहा हैं, इसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ । मैं अपेक्षा करता हूँ आगे भी आप सभी इसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के इन लघु वनोपज संग्राहकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान तथा कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे ।

जय सहकार । जय छत्तीसगढ़ ।

(मुरारी लाल सिंह)
अध्यक्ष

विषय-सची

अ.क्र	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	छठवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन दिनांक 25.03.06 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	1-3
2.	छठवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन के निर्णय का पालन प्रतिवेदन ।	4
3.	वित्तीय वर्ष 2006-07 का कार्यक्रम तथा अनुमानित व्यय ।	5-43
4.	वित्तीय वर्ष 2007-08 के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का अनुमोदन ।	44-51
5.	वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये बजट की स्वीकृति ।	52-58
6.	वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 की स्थिति ।	59

<u>विषय क्रमांक - 1</u>

विषय : छठवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 25.03.2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की छठवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 25.03.2006 का कार्यवृत्त संघ के पत्र क्रमांक/वनो/सह.साधारण सभा दि/2006/4865 दिनांक 24.04.2006 से माननीय सदस्यगण, संचालक मंडल एवं समस्त माननीय प्रतिनिधिगण जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित को कार्यवृत्त संलग्न कर भेजा गया । उक्त कार्यवृत्त पर मान्नीय सदस्यों की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई । बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है :-

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की छठवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 25.03.2006 का कार्यवाही विवरण ।

दिनांक : **25.03.2006**

समय : **3.00 बजे अपरान्ह**

दिन : **शनिवार**

स्थान : **छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ कार्यालय स्थित सभाकक्ष रायपुर** ।

संघ की छठवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 25.03.2006 को अपरान्ह 3.00 बजे से छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, ए-25 व्ही.आई.पी.स्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर रायपुर स्थित कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई । बैठक में माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री- वन एवं राजस्व, छत्तीसगढ़ शासन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे । वार्षिक साधारण सभा की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के अध्यक्ष माननीय श्री मुरारीलाल सिंह जी के द्वारा की गई । इस बैठक में जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के 22 प्रतिनिधियों तथा संघ के संचालक मण्डल के 08 सदस्यों ने भाग लिया । सर्वप्रथम प्रबंध संचालक द्वारा संघ की छठवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित माननीय मंत्री जी, संघ प्रतिनिधियों तथा संचालक मण्डल के सदस्यों का स्वागत किया गया ।

माननीय अध्यक्ष संघ के द्वारा उपस्थित सभी प्रतिनिधियों एवं संचालक मंडल के सदस्यों का संघ की छठवीं वार्षिक साधारण सभा में स्वागत करते हुए उनको संबोधित किया गया तथा अपेक्षा की गई कि ग्रामीण अंचल में गरीब वनवासियों के लिये तेन्दूपत्ता संग्रहण आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है, अतएव तेन्दूपत्ता संग्रहण करने वाले संग्राहकों को संग्रहण की मजदूरी समय पर मिलनी चाहिए । उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी तेन्दूपत्ते का अग्रिम में निर्वर्तन किया गया, अभी तक लगभग 95 प्रतिशत तेन्दूपत्ते का अग्रिम विक्रय हो चुका है ।

अध्यक्ष, संघ ने कहा कि तेन्दूपत्ते के साथ-साथ अन्य अराष्ट्रीयकृत वनोपज इमली, तेलीय बीज, शहद, माहुल पत्ता, चिरौंजी आदि वनोपजों के प्रसंस्करण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुये हैं । वन समितियों द्वारा वनौषधियों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है तथा समितियों द्वारा जड़ी-बूटी से बनाई गई वनौषधियॉं रायपुर स्थित संजीवनी केन्द्र में विक्रय हेतु उपलब्ध है । माहुल पत्ता से दोना-पत्तल बनाने के कार्य में काफी प्रगति हुई है तथा इससे समितियों को लाभ हुआ है । प्रदेश में हमारी प्राथमिक समितियॉं सशक्त बने, अतएव आप सभी संघ प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि आप अपने-अपने क्षेत्र में पूरी लगन एवं मेहनत से कार्य करते हुये गरीब तेन्दूपत्ता संग्राहकों को

उनके मेहनत का पूरा -पूरा लाभ दिलाने हेतु सक्रिय रहे तथा अच्छी गुणवत्ता का ही पत्ता संग्रहित करने के लिये प्रेरित करें, ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके ।

प्रबंध संचालक द्वारा एजेन्डा से सम्बंधित सभी विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया तथा सभी उपस्थित माननीय संचालक मंडल के सदस्यगण एवं संघ प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि विगत वर्षों के सारे रिकार्ड को तोड़ते हुये छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 95 प्रतिशत तेन्दूपत्ते का अच्छी दरों पर विक्रय कर एक नया इतिहास बनाया गया है । वास्तव में यह छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की स्वर्णिम सफलता है । इसका श्रेय हमारे माननीय वनमंत्रीजी के मार्गदर्शन एवं माननीय अध्यक्ष, संघ के कुशल नेतृत्व एवं समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहकों, जिला यूनियन के प्रतिनिधियों एवं अध्यक्षों को जाता है । यह छत्तीसगढ़ राज्य के लिये और संघ के लिये बहुत बड़ी उपलब्धि है ।

छठवीं वार्षिक साधारण सभा में विषयवार निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

प्रस्ताव क्रमांक	**संकल्प**
<u>विषय क्रमांक : 1</u> गत् वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.03.2005 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	संघ की गत् वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.03.2005 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
<u>विषय क्रमांक : 2</u> वर्ष 2005-2006 की प्रमुख गतिविधियॉ ।	वर्ष 2005-2006 की प्रमुख गतिविधियों से प्रतिनिधिगण अवगत हुये ।
<u>विषय क्रमांक : 3</u> वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम ।	वित्तीय वर्ष 2006-2007 के प्रस्तावित कार्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।
<u>विषय क्रमांक : 4</u> वर्ष 2006-07 के लिये छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अनुमानित बजट की स्वीकृति बाबत् ।	वर्ष 2006-2007 के संघ के प्रस्तावित अनुमानित बजट को स्वीकृत किया गया ।

अन्य विषय :-अध्यक्ष महोदय की अनुमति से -	
<u>विषय क्रमांक -5</u> प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के अंशकालिक प्रबंधकों के पारिश्रमिक में वृध्दि बाबत् ।	संघ प्रतिनिधियों की मांग पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के अंशकालिक प्रबंधकों के पारिश्रमिक में वृध्दि के सम्बंध में चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति के वर्गीकरण के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के समिति प्रबंधकों के पारिश्रमिक में राशि रूपये 200/- प्रतिमाह की वृध्दि अप्रैल 2006 से की जावे । सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये ।

सही/-
(श्री ए.के.सिंह)
प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं
विकास सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

सही/-
(श्री मुरारीलाल सिंह)
अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं
विकास सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

<u>विषय क्रमांक - 2</u>

विषय : छठवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन के निर्णय का पालन प्रतिवेदन ।

छठवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन के निर्णय का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैं :-

प्रस्ताव क्रमांक	संकल्प	की गई कार्यवाही
<u>विषय क्रमांक : 1</u> गत् वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.03.2005 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	संघ की गत् वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.03.2005 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।
<u>विषय क्रमांक : 2</u> वर्ष 2005-2006 की प्रमुख गतिविधियॉ.	वर्ष 2005-2006 की प्रमुख गतिविधियों से प्रतिनिधिगण अवगत हुये ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।
<u>विषय क्रमांक : 3</u> वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम ।	वित्तीय वर्ष 2006-2007 के प्रस्तावित कार्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।	अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार कार्य किये गये हैं ।
<u>विषय क्रमांक : 4</u> वर्ष 2006-2007 के लिये छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अनुमानित बजट की स्वीकृति बाबत् ।	वर्ष 2006-2007 के संघ के प्रस्तावित अनुमानित बजट को स्वीकृत किया गया ।	स्वीकृत बजट का पालन किया गया हैं ।
अन्य विषय :-अध्यक्ष महोदय की अनुमति से -		
<u>विषय क्रमांक -5</u> प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के अंशकालिक प्रबंधकों के पारिश्रमिक में वृध्दि बाबत् ।	संघ प्रतिनिधियों की मांग पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के अंशकालिक प्रबंधकों के पारिश्रमिक में वृध्दि के सम्बंध में चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति के वर्गीकरण के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के समिति प्रबंधकों के पारिश्रमिक में राशि रूपये 200/- प्रतिमाह की वृध्दि अप्रैल 2006 से की जावे । सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीयक, सहकारी संस्थाऍ की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये ।	(1) पारिश्रमिक में वृद्धि का आदेश क्रं 5123 दिनांक 29.04.06 द्वारा जारी किया गया । (2) सहकारी अधिनियम के अधीन पंजीयक की स्वीकृति आदेश क्रमांक 26 दिनांक 25.04.06 से प्राप्त हो चुकी है ।

<u>विषय क्रमांक - 3</u>

विषय : वित्तीय वर्ष 2006-07 का कार्यक्रम तथा अनुमानित व्यय ।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ/12-3 /2004/10-2 दिनांक 17.02.2005 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, मर्यादित, रायपुर की पद संरचना की स्वीकृति प्राप्त हुई है । स्वीकृत पद संरचना के अनुसार रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यालयीन नोटशीट क्रमांक/2950 दिनांक 09.03.05, 3565 दिनांक 28.03.05, अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 46 दिनांक 16.09.05 एवं 61 दिनांक 08.12.05 तथा माननीय अध्यक्ष संघ की ओर से कार्यालयीन नोटशीट क्रमांक 3339 दिनांक 08.03.2006 द्वारा माननीय वन मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन को लेख किया गया है ।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ में निम्न अराजपत्रित रिक्त पदों को वन विभाग/सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्ति से भरे जाना है :-

पदनाम	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत पद**	**कुल रिक्त पद**
1	2	3	4
उप वनक्षेत्रपाल	**वन- 140**	वन - 86	**54**
लेखापाल	वन- 19	वन - 14	5
	सह- 18	सह - 8	10
	संघ- 10	संघ - 7	3
	कुल 47	**29**	
कनिष्ठलेखापाल	**वन- 31**	**17**	**14**

उपरोक्त पदों के अलावा संघ द्वारा नियमित वेतनमान में सीधी भर्ती से निम्न पदों को भरा जाना है, विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	**पदनाम**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत पद**	**रिक्त पद**
1	शीघ्र लेखक	2	-	2
2	डाटाइण्ट्री आपरेटर	8	2	6
3	निम्न श्रेणी लिपिक	34	12	22
4	संदेश वाहक	73	11	62
5	वाहन चालक	12	10	2
	योगः-	**129**	**35**	**94**

सीधी भर्ती के नियमित पदों को भरने हेतु शासन, वन विभाग की सहमति की आवश्यक्ता है । संघ के कार्यालयीन पत्र क्र./6500 दिनांक 06.05.2006, अर्द्धशासकीय पत्र क्र./71 दिनांक 18. 07.2006, अर्द्धशासकीय पत्र क्र/106 दिनांक 19.10.2006, कार्यालयीन पत्र क्र./स्था/2007/1377 दिनांक 08.02.2007 एवं अर्द्ध शासकीय पत्र क्र./13 दिनांक 05.03.2007 से सीधी भरती के रिक्त पदों को सीधी भरती से भरने हेतु शासन से अनुमति हेतु लेख किया गया है ।

वर्तमान में तेन्दूपत्ता सीजन भी प्रारंभ होने वाला है । संघ द्वारा इमली, माहुल पत्ता, शहद, तेलीय बीज के प्रसंस्करण कार्य भी आरंभ किया गया है । कर्मचारियों के अभाव में संघ का कार्य काफी प्रभावित हो रहा है । लेखा, आडिट आदि का कार्य उचित तरीके से सम्पन्न नहीं हो पा रहा है । गोदामों पर क्रेताओं एवं सघं के दोहरे ताले में पत्ता रखने पर नियंत्रण हेतु उप वनक्षेत्रपाल उपलब्ध नहीं होते हैं । संघ द्वारा संविदा पर डाटा एन्ट्री आपरेटर के 37 पदों में से 35 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है । आरक्षित नियमानुसार विकलांग के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण दो पद रिक्त रखे गये हैं । दो चोकीदार के रिक्त पदों पर कलेक्टर दर पर भरती की गई है ।

इसके अतिरिक्त निम्नानुसार रिक्त राजपत्रित पदों को शासन द्वारा वन विभाग से प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है :-

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबन्धक	2	1	0 (वन संरक्षक के उक्त पद के उन्नयन की प्रत्याशा के विरूद्ध 1 मु.व.सं. कार्यरत
उप वन संरक्षक	2	1	1
सहायक वन संरक्षक (मुख्यालय)	2	1	1
सहायक वन संरक्षक (वन वृत्त)	6	3	3
सहायक वन संरक्षक (जिला यूनियन)	31	23	8
वन क्षेत्रपाल (मुख्यालय)	1	रिक्त	1

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबन्धक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयों में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदो की संख्या संलग्न **परिशिष्ट-''अ''** में दर्शाई गई है, जिसका सारांश निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	उप वन संरक्षक	2	1	1
2.	सहायक वन संरक्षक	39	27	12
3.	वन क्षेत्रपाल	1	0	1
4.	उप वन क्षेत्रपाल	140	86	54
5.	लेखापाल	47	29	18
6.	कनिष्ठ लेखापाल	31	18	13
7.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	8	2	6
8.	शीघ्रलेखक नियमित	2	0	2
9.	सहायक लेखाधिकारी	1	0	1
10.	सहायक वर्ग-3	34	12	22
11.	वाहन चालक	12	10	2
12.	संदेशवाहक	73	11	62
	योग :-	**451**	**252**	**199**

सीधी भर्ती के पदों को भरने की शासन अनुमति के तथा वन विभाग व सहकारिता विभाग से प्रतिनियुक्ति के पद भरने के प्रयास संघ की ओर से किये जा रहे हैं ।

(ii) तेंदूपत्ते का व्यापार

वर्ष 2006 संग्रहण काल में संघ द्वारा प्रदेश की कुल 897 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ते का संग्रहण कराया गया । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों से तेन्दूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपज संग्रहण नहीं किया जाना है, अतः इन क्षेत्रों में वर्ष 2005 की भाँति इस वर्ष 2006 में भी तेन्दूपते संग्रहण नहीं किया गया है । तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 450/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई । सम्पूर्ण प्रदेश में बीड़ी बनाने योग्य अनुमानित उत्पादन के लक्ष्य 18.44 लाख मानक बोरा के विरूद्ध अच्छी गुणवत्ता का 14.72 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ते का संग्रहण किया गया । पूरे भारतवर्ष में तेन्दूपत्ता की फसल कमजोर होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी उत्पादन कम हुआ । निम्नानुसार लाटों में कोई संग्रहण नहीं हुआ :-

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अधिसूचित मात्रा (मानक बोरा में)
1	**2**	**3**	**4**
1.	बीजापुर	1	3000
2.	सुकमा	16	26800
3.	दंतेवाड़ा	2	3200
4.	खैरागढ़	4	8800
5.	राजनांदगांव	4	6900
योग		**27**	**48700**

अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं को संग्रहण केन्द्रों पर ही संग्रहित 14.42 लाख मानक बोरा का परिदान दिया गया, जिसका विक्रय मूल्य रू. 135.90 करोड़ हैं । अग्रिम विक्रय में औसत विक्रय दर रू. 942/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । शेष लाट, जिनका अग्रिम विक्रय नहीं हो सका, में संग्रहित 0.30 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का उपचारण समितियों के माध्यम से कराया जाकर भंडारण कराया गया । अग्रिम में अविक्रित लाटों में संग्रहित 0.30 लाख मानक बोरा का निर्वर्तन रू. 4.12 करोड़ में हुआ तथा औसत विक्रय मूल्य रू. 1393/- प्रति मानक बोरा रहा । जिला यूनियनवार अग्रिम में निवर्तित व अवशेष लाटों का विवरण **परिशिष्ट क-1** में एवं विभागीय रूप से संग्रहित एवं भंडारित तेन्दूपत्ता के निर्वर्तित एवं अवशेष लाटों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट क-2** में संलग्न है । तेंदूपत्ता कार्य में संलग्न विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भी भुगतान संघ की ओर से किया जाता हैं ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2007 में लगभग 17.95 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । संग्रहण वर्ष 2007 में तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 450/- प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर रू. 500/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई हैं । दिनांक 01.03.2007 तक विभिन्न निविदाओं में अग्रिम नियुक्त क्रेताओं को समस्त 17.95 लाख मानक बोरा रू. 340.51 करोड़ में विक्रय किया गया है एवं औसत दर रू. 1897/- प्रति मानक बोरा है । जिला यूनियनवार निवर्तित लाटों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ख'** में संलग्न है ।

वर्ष 2006 की अपेक्षा इस वर्ष 2007 में अग्रिम विक्रय में औसत विक्रय दर में 101 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं तथा सम्पूर्ण मात्रा अग्रिम में विक्रित हो चुकी हैं ।

(iii) **सालबीज का व्यापार**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश के 13 सालबीज उत्पादक जिलों में वर्ष 2006 में लगभग 0.488 लाख क्विंटल सालबीज का संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया है । इस वर्ष 0.447 लाख क्विंटल मात्रा का अग्रिम निर्वर्तन हुआ जिससे कुल राशि रू. 3.59 करोड़ विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है । शेष मात्रा 80 क्विंटल सालबीज समितियों के माध्यम से संग्रहित कर गोदामीकृत किया गया । गोदामीकृत 80 क्विंटल सालबीज का विक्रय रू. 44 हजार में किया गया । लाटवार/जिला यूनियनवार विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 'ग'** में संलग्न है ।

संग्रहण वर्ष 2006 के सालबीज की संग्रहण मजदूरी का भुगतान रू. 350/- प्रति क्विंटल की दर से तथा बोनस का भुगतान रू. 150/- प्रति क्विंटल की दर से संघ की ओर से किया जा चुका है ।

संग्रहण वर्ष 2005 में सालबीज के व्याापार से घाटे की राशि रूपये 11.53 करोड़ में से रूपये 5.765 करोड़ की प्रतिपूर्ति वर्ष 2006-2007 में तथा शेष राशि रूपये 5.765 करोड़ की प्रतिपूर्ति वर्ष 2007-2008 में शासन के द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ।

(iv) **हर्रा का व्यापार**

संघ द्वारा प्रदेश के 15 जिलों में अग्रिम में विक्रित हर्रा प्राथमिक समितियों के पर्यवेक्षण में तथा अग्रिम में अविक्रित हर्रा प्राथमिक समितियों के द्वारा संग्रहित किया जाता है । संग्रहण वर्ष 2004-2005 के लिए हर्रा, कचरिया एवं बाल हर्रा की संग्रहण दर क्रमशः रू. 250/-, 625/- एवं 1500/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है तथा वर्ष 2004-2005 में 56229.79 क्विंटल हर्रा, 1648.89 क्विंटल कचरिया एवं 42.41 क्विंटल बालहर्रा का संग्रहण किया गया है, जिसमें से अब तक 56049.79 क्विंटल हर्रा 1648.89 क्विंटल कचरिया एवं 42.41 क्विंटल बालहर्रा का विक्रय हो चुका है, जिसका विक्रय मूल्य रू. 1.54 करोड़ है । 180.00 क्विंटल हर्रा एवं 2.13 क्विंटल कचरिया विक्रय हेतु शेष है ।

वर्ष 2005-06 में 38233.62 क्विंटल हरा, 2324.66 क्विंटल कचरिया एवं 11.99 क्विंटल बालहर्रा का संग्रहण किया गया है, जिसमें से अब तक 37610.80 क्विंटल हर्रा, 1950.53 क्विंटल कचरिया तथा 11.99 क्विंटल हरा विक्रय हो चुका है, जिसका विक्रय मूल्य रू. 1.15 करोड़ है । 622.82 क्विंटल हर्रा एवं 373.93 क्विंटल कचरिया विक्रय हेतु शेष है ।

संग्रहण वर्ष 2006-2007 में कुल 39 इकाईयों में से 26 इकाईयों का अग्रिम में निवर्तित किया जाकर हर्रा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों की विस्तृत जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट 'घ' 'ड़' एवं 'च'** में संलग्न प्रेषित है ।

(v) **गोंद वर्ग-1 कुल्लू गोंद का व्यापार**

कुल्लू वृक्षों में पुनरूत्पादन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कुल्लू गोंद संग्रहण दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है । संघ द्वारा इन जिलों में कुल्लू गोंद संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में अग्रिम में नियुक्त केता माध्यम से कराया जा रहा है । वर्ष 2005-2006 में कुल्लू गोंद की संग्रहण दर रू. 9500/- प्रति क्विंटल प्रथम श्रेणी के लिये तथा रू. 6400/- द्वितीय श्रेणी के लिये शासन द्वारा निर्धारित की गई है । संग्रहण

वर्ष 2005-2006 में प्रथम श्रेणी के 625.325 क्विंटल तथा द्वितीय श्रेणी के 51.470 क्विंटल गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) संग्रहण किया गया । संग्रहित मात्रा का निर्वर्तन अग्रिम में ही क्रेता नियुक्त कर रू. 68.37 लाख में किया गया है । औसत विक्रय दर रू. 10103/- प्रति क्विंटल प्राप्त हुई है ।

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2006-2007 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी के लिये संग्रहण दर रू. 14000/- प्रति क्विंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रू. 10000/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है तथा प्रदेश की 5 इकाईयों को अग्रिम में निवर्तित किया जाकर संग्रहण का कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के कुल्लू गोंद के संग्रहण एवं विक्रय का जिला यूनियनवार विस्तृत विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 'छ' एवं 'ज'** में संलग्न है ।

गोंद वर्ग-1 की गुणवत्ता वृद्धि तथा विनाश विहीन विदोहन हेतु बस्तर विकास प्राधिकरण से आवंटन प्राप्त कर 200 संग्राहकों एवं 80 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया । प्रशिक्षण गैर सरकारी संस्था कोवेल फाउंडेशन विशाखापटनम द्वारा दिया गया ।

(vi) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल)

वर्ष 2005-2006 सीजन में प्रदेश की गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल) की 15 इकाइयों में 20.00 क्विंटल धावड़ा गोंद एवं 125.50 क्विंटल खैर/बबूल गोंद संग्रहण किया गया । वर्ष 2005-2006 हेतु संग्रहण दर निम्नानुसार निर्धारित थी :-

1. खैर/बबूल - 1500/- प्रति क्विंटल
2. धावड़ा - 2500/- प्रति क्विंटल

संग्रहित 20.00 क्विंटल धावड़ा गोंद एवं 125.50 क्विंटल खैर/बबूल गोंद का विक्रय रू. 2.75 लाख में किया जा चुका है ।

संग्रहण वर्ष 2006-2007 में कुल 21 इकाईयों में से 11 इकाईयों का अग्रिम में निवर्तित किया जाकर गोंद वर्ग-2 संग्रहण का कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों का विस्तृत विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 'झ' एवं 'ञ'** में संलग्न है ।

(vii) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

प्रदेश के समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहक समूह बीमा योजना द्वारा बीमित हैं । इस योजना के तहत संग्राहक की सामान्य मृत्यु होने पर रू. 3500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रू. 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रू. 25,000/- की राशि देने का प्रावधान है । बीमा प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा मृत्यु दिनांक से एक वर्ष निर्धारित की गई है । इस योजना हेतु संग्राहक को देय प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है । समस्त देय प्रीमियम का भुगतान संघ द्वारा किया जाता है । वनोपज संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रीमियम के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को रूपये 5.97 करोड़ का भुगतान किया गया । वित्तीय वर्ष 2006-07 में दिसम्बर 2006 तक 18514 दावों का निराकरण कर राशि रूपये 8.63 करोड़ का भुगतान किया गया ।

(viii) वर्ष 2004 एवं वर्ष 2005 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2004 में कुल 18.86 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था । उक्त तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत शुद्ध लाभ की राशि में से 70 प्रतिशत की राशि रूपये 25.

37 करोड़ 565 लाभ वाली समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई तथा समितियों द्वारा राशि रूपये 24.96 करोड जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की गई ।

जिला यूनियनवार लाभ में रही समितियों की संख्या तथा उन समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण योग्य राशि एवं का वितरित राशि का विवरण **परिशिष्ट ''ड''** में संलग्न हैं ।

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2005 में कुल 14.72 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था । उक्त तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत शुद्ध लाभ की राशि में से 70 प्रतिशत की राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किया जाना हैं ।

596 लाभ वाली समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में राशि रूपये 24.59 करोड़ का वितरण संग्राहकों को करने का निर्णय लिया गया हैं ।

जिला यूनियनवार लाभ में रही समितियों की संख्या तथा उन समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण योग्य राशि का विवरण **परिशिष्ट ''ढ''** में संलग्न हैं ।

उक्त प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण समितियों द्वारा जन प्रतिनिधियों के समक्ष प्रगति पर है ।

(ix) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । वर्ष 1999+2000, 2001, 2002, 2003, 2004 एवं 2005 के तेन्दूपत्ता व्यापार के लाभ से रू. 44.80 करोड़ की राशि मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए उपलब्ध हैं तथा 28.18 करोड़ की राशि समिति क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं संबंधी कार्य कराने के लिये जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई । उक्त वर्षों में जिला यूनियनवार उपलब्ध राशि एवं संघ द्वारा जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई गई राशि का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ट'** में संलग्न है ।

(x) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का लेखा प्रशिक्षण ।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को लेखा प्रशिक्षण कराने हेतु संचालक मंडल की 20 वीं बैठक दिनांक 04.08.2005 में निर्णय लिया गया था । संघ से संबद्ध 913 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों में से 720 प्रबंधकों को लेखा प्रशिक्षण, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर के माध्यम से दिया जा चुका है, तथा 193 समिति प्रबंधक लेखा प्रशिक्षण हेतु शेष हैं । वर्तमान में वर्ष 2007 सीजन के तेंदूपत्ता, शाखकर्तन का कार्य प्रारंभ होने, तेन्दूपत्ता 2005 सीजन का प्रोत्साहन राशि का वितरण कार्य जारी होने के कारण समिति प्रबंधकों को लेखा प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना संभव नहीं हो पा रहा हैं । अतः उक्त कार्यों के पूर्ण होने उपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः प्रांरभ किया जावेगा ।

(xi) भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा से ऋण पर ब्याज प्राप्ति -

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-7-1/2003/10-1 दिनांक 03.03.2003 के निर्देशानुसार भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा को संघ के द्वारा रू. 5.00 करोड़ ऋण के रूप में अपेक्स बैंक की सावधि जमा (एफ.डी.आर) पर देय ब्याज की दर पर दिनांक 04.03.2003 को उपलब्ध कराई गई थी । उक्त ऋण राशि रू. 5.00 करोड़ दिनांक 12.01.2005 को, इस मूलधन पर देय ब्याज रू. 55 लाख दिनांक 31.03.2006 को प्राप्त हुआ है । दिनांक 01.10.2006 तक उक्त ब्याज राशि पर लगने वाले ब्याज की राशि रू. 8,07,251/- प्राप्त करना अभी शेष है ।

(xii) **चरणपादुका का वितरण** -

माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महामहिम राज्यपाल के विधानसभा में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान दिनांक 02.03.2005 को घोषणा की गई है कि प्रदेश के समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को 1-1 जोड़ी चरण-पादुका प्रदान की जायेगी ।

छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरित किये जाने वाली चरणपादुकाओं के क्रय हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की अध्यक्षता में क्रय समिति गठित की गयी, जिसमें वन विभाग, वित्त विभाग, पुलिस विभाग एवं सी.एस.आई.डी.सी. के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य हैं ।

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला या पुरूष सदस्य को परिवार की इच्छानुसार जिन्होंने वर्ष 2003 अथवा वर्ष 2004 अथवा वर्ष 2005 में संग्रहण किया है, को चरणपादुका प्रदाय की जानी थी । इस प्रकार कुल **12,52,231** संग्राहकों को चरणपादुका वितरित की जानी थी ।

वर्ष 2005-06 के शासन के बजट से वनोपज संघ को रू. 11.345 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

राष्ट्रीय स्तर पर चरणपादुका क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित की गई । मे. लखानी इंडिया लि., मे. लिबर्टी शूज एवं मे. निखिल फुटवियर्स लि. को रूपये 88/- प्रति जोड़ी की दर पर निम्नानुसार मात्रा के चरणपादुका क्रय आदेश संघ के पत्र क्रमांक/संघ/शूज/2005/10458 दिनांक 14.11.2005 से जारी किये गये ।

विभिन्न कंपनियों को आदेशित मात्रा, प्रदायित मात्रा एवं उनको भुगतान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	**प्रदायकर्ता कंपनी**	**आदेशित मात्रा जोड़ी में**	**जिला यूनियनों में प्रदायित चरणपादुकाओं की संख्या**	**भुगतान की गई राशि (रूपये में)**
1.	मे.लखानी इंडिया लि.	197081	197080	17343128
2.	मे.निखिल फुटवियर्स लि.	660514	660246	58078670
3.	मे. लिबर्टी शूज लि.	406857	406178	35511468
	योग	**1264452**	**1263504**	**110933266**

विभिन्न जिला यूनियनों में संग्राहकों की संख्या, जिला यूनियन को उपलब्ध कराये गये चरणपादुकाओं की संख्या एवं वितरित चरणपादुकाओं सम्बंधी जानकारी **परिशिष्ट ''ठ''** में संलग्न है । सुकमा जिला यूनियन में 11237 चरणपादुका को छोड़कर शेष जिला यूनियन में चरणपादुका वितरण का कार्य पूर्ण हो गया है ।

(xiii) वनौषधि एवं अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज

छत्तीसगढ़ राज्य अराष्ट्रीयकृत वनोपज में अत्यधिक समृद्व है परन्तु बाजार में स्थानीय कोचियों को विक्रय तथा विनाशकारी विदोहन पद्वतियों के कारण उनका उचित मूल्य, संग्राहक को प्राप्त नहीं होता है । इनका प्रसंस्करण भी बहुत कम है, जबकि प्रसंस्करण में अतिरिक्त रोजगार तथा विक्रय से अधिक आय प्राप्त होती है । अतः छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रयास किया जा रहा है

कि छत्तीसगढ़ के संग्राहकों, जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं, की प्रसंस्करण क्षमता में, प्रशिक्षण, पूंजी तथा विपणन का सहयोग देकर सुधार किया जावे ताकि आगामी वर्षों में जो भी व्यक्ति इस कार्य में दक्ष हो जाता है, इससे वह अपना सतत जीविकोपार्जन कर सके । अधिकांश संग्राहकों की वर्तमान क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये इस कार्य में अधिक समय लगना संभावित है तथा प्रारंभ में हानि की संभावना भी बनी रहती है । इस परिपेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2006-07 में अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज संवर्धन एवं विकास हेतु घटकवार किये गये प्रयास एवं प्राप्त परिणामों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. संसाधन संवर्धन -

छत्तीसगढ़ राज्य में अकाष्ठीय वनोपज से समृद्ध वन क्षेत्रों का संवर्धन करने हेतु लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना योजना के माध्यम से राज्य के 9 जिला यूनियन बिलासपुर, मरवाही, धरमजयगढ़, कोरिया, धमतरी, दुर्ग, पूर्व सरगुजा, पूर्व भानुप्रतापपुर एवं जगदलपुर में संघ के व्यय पर तथा राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान की सहायता से 14 लोक संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है । इसमें वर्तमान में 5000 हेक्ट. क्षेत्रफल में क्षेत्र तैयारी तथा 51000 हेक्ट. क्षेत्रफल में रख-रखाव के कार्य जारी है । इस योजना के तहत संघ मद से वित्तीय वर्ष 2006.07 में रू. 90. 00 लाख व्यय किये जा चुके हैं । आदिवासी उपयोजना के तहत इस योजना हेतु लगभग रु 104. 00 लाख प्रदाय किए जा चुके हैं । इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग रू 290. 00 लाख व्यय होने की संभावना है । इस कार्य द्वारा मूल्यवान अकाष्ठीय वनोपज प्रजातियों का स्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण, औषधि निर्माण तथा स्थानीय लोगों व कर्मचारियों की क्षमता विकास आदि कार्य संपादित किये जा रहे हैं ।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड से नारायणपुर, पूर्व रायपुर, कांकेर, दक्षिण कोण्डागांव, खैरागढ़, राजनांदगांव, पश्चिम भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा एवं उत्तर कोण्डागांव, इस तरह कुल 9 जिला यूनियनों के सुश्रुत वन प्रस्तावों की स्वीकृति 2002-2003 में प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए 25.00 लाख प्रति परियोजना कुल रु. 225.00 लाख प्राप्त हुए जिसमें 219.70 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है । इस योजना के माध्यम से औषधि क्षेत्रों का संवर्धन, औषधि खेती, विपणन, कृषकों को प्रशिक्षण आदि कार्य इस वर्ष पूर्ण हो जावेंगे ।

धमतरी वनमण्डल में अकाष्ठीय वनोपज संवर्धन एवं विपणन हेतु राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2004-05 से प्रारंभ हुई । अंतःस्थलीय संवर्धन, बाह्य स्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण तथा विपणन परियोजनाओं में अब तक रु. 80.243 लाख व्यय किया गया तथा आई.डी.आर.सी., कनाडा द्वारा स्वीकृत क्षमता विकास एवं सर्वेक्षण परियोजना के अर्न्तगत रू. 17.82 लाख व्यय किया गया है ।

2. कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण एवं प्रसंस्करण

2.1 कच्चे लघु वनोपज संग्रहण

राज्य में कच्चे लघु वनोपज के संग्रहण करने हेतु 50 प्रजातियों का चयन कर ग्राम एवं हाट बाजार स्तर पर स्व-सहायता समूहों के माध्यम से क्रय करने हेतु दरें निर्धारित की गई हैं । स्व-सहायता समूह उपरोक्त दरों पर कच्ची लघु वनोपज क्रय करने के पश्चात नजदीकी NWFP मार्ट में विक्रय कर राशि प्राप्त करना है । इस कार्य हेतु ग्राम स्तर समूहों को संग्रहण दर का 5 प्रतिशत, हाट बाजार स्तर के पर समूहों को संग्रहण दर का 1.5 प्रतिशत कमीशन देय होता है । इसके अतिरिक्त उन्हें परिवहन व्यय भी देय होता है । इस कार्य में संबंधित प्राथमिक वनोपज समिति प्रबंधक के सहयोग करने पर उन्हें संग्रहण दर का 0.5 प्रतिशत कमीशन देय होता है । इस प्रकार संग्रहित कच्चे लघु वनोपज को NWFP मार्ट स्तर पर ग्रेडिंग कर

निश्चित दर पर विक्रय किया जा रहा है । इससे संग्राहकों को उचित मूल्य मिलने के साथ ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की लघु वनोपज उचित दर पर उपलब्ध हो रही है ।

2.2 लाख पालन

राज्य में लाख पालन को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-8-14/206/10-02 दिनांक 04.10.20006 के द्वारा माननीय वन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय लाख समिति का संघ मुख्यालय में गठन किया गया है । लाख समिति द्वारा दिनांक 03.01.2007 को माननीय वन मंत्रीजी श्री बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित प्रथम बैठक में नीचे दर्शाये अनुसार मुख्य निर्णय लिये गये हैं ।

2.2.1. राज्य में लाख की खेती को बढ़ाने हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु

छ.ग. शासन वन विभाग के बजट में एक नये बजट मद को प्रावधान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जावे ।

2.2.2. विभिन्न शासकीय विभागों की भूमिका ।

कृषि विभाग के द्वारा छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के लाख प्रकोष्ठ से समन्वय स्थापित कर कृषि विस्तार सहायकों का उपयोग लाख खेती के प्रचार-प्रसार एवं विस्तार हेतु करना है । वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा समितियों एवं ग्राम वन समितियों के पास उपलब्ध राशि को लाख खेती में उपयोग हेतु सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की तथा समितियों से लाख खेती हेतु प्रस्ताव तैयार कराने बाबत् वन विभाग को निर्देशित किया गया । जिला यूनियनों द्वारा जिला पंचायत व अन्य माध्यमों से लाख खेती हेतु योजनाएं स्वीकृत कराकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है । जिला पंचायत द्वारा सम विकास योजना से राशि स्वीकृत की जा रही है ।

2.2.3. संसाधन सर्वेक्षण द्वारा डाटाबेस तैयार करना ।

राज्य में लाख उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राजस्व भूमि तथा कृषि भूमि पर उपलब्ध लाख के पोषक वृक्षों की कृषकवार जानकारी, समस्त जिला कलेक्टर्स द्वारा संबंधित जिला यूनियनों को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहमति व्यक्त की गई तथा इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनो./संघ/का.द./लाख खेती/2007/1625 दिनांक 13.02.2007 से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

2.2.4. लाख पालन माइक्रो इन्टरप्राइजेस स्थापना ।

राज्य में लाख पालन में वृद्वि लाने हेतु लाख उत्पादन आधारित माइक्रो इन्टर प्राईजेस प्रांरभ किया जाना प्रस्तावित है । माइक्रो इन्टरप्राईजेस का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि पूर्व से चल रही लाख खेती क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि लाना तथा नये क्षेत्र में लाख पालन कार्य प्रारंभ करना है । इस हेतु प्रत्येक माइक्रो इन्टरप्राइस के अर्न्तगत चयन किये गये परियोजना क्षेत्र में स्व-सहायता समूहों की माध्यम से सघन लाख पालन कार्य को बढ़ावा दिया जावेगा ।

प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइज में लाख पोषक वृक्ष जैसे कि कुसुम, पलास या बेर जैसे वृक्षों से समृद्ध क्षेत्र परियोजना क्षेत्र के रुप में चयन किया जावेगा अर्थात 20 से 30 उपयुक्त ग्रामों को दो या तीन कलस्टर में चयन किया जावेगा । इन ग्रामों में न्यूनतम 5000 कुसुम या 50000 पलाश वृक्ष होना आवश्यक है । प्रत्येक गांव में एक या दो स्व-सहायता समूह को लाख पालन के साथ जोड़कर प्रशिक्षित किया जावेगा । इन्हे सीमित मात्रा में बीहन लाख उपलब्ध करायी जावेगी । स्थानीय स्तर पर तकनीकी सहायता निरंतर रुप से उपलब्ध कराने

हेतु परियोजना क्षेत्र के प्रत्येक गांव से दो कृषकों को मास्टर्स ट्रेनर्स के रुप में चयन कर आवश्यक प्रशिक्षण दिया जावेगा । इस प्रकार प्रत्येक माइक्रो इन्टरप्राइज के अर्न्तगत परियोजना क्षेत्र का चिन्हकांन, संसाधन सर्वेक्षण, लाख पालन हेतु कृषक एवं स्व-सहायता समूह चयन, हितग्राही प्रशिक्षण, बीहन लाख उपलब्धता, लाख बिक्री आदि कार्य किये जायेंगे ।

लाख की खेती के द्वारा प्रत्येक कुसुम वृक्ष से न्यूनतम 1000 शुद्ध वार्षिक आय प्राप्त कर सकते हैं । इसी प्रकार एक पलाश वृक्ष से न्यूनतम रु. 100 प्रति वृक्ष शुद्ध वार्षिक आय प्राप्त होती है । इस प्रकार एक कृषक 4-5 कुसुम वृक्ष या 40-50 पलाश वृक्षों से रु. 4000-5000 आय प्रति सीजन प्राप्त कर सकते हैं । इसमें बहुत कम मानव श्रम की आवश्यकता होती है तथा गैर कृषि ऋतु में लाख की खेती की जा सकती है । प्रत्येक माइक्रो इन्टरप्राइेज में 500 हितग्राही लाभविंत होगें तथा लगभग 250 क्विंटल लाख उत्पादन होगी । इस हेतु रू.20.00 लाख राशि की आवश्यकता होगी । इस माइक्रो इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रत्येक वर्ष 20-25 लाख आमदनी प्राप्त होगी ।

इस प्रकार राज्य के 25 जिला युनियनों में ये माइक्रो इन्टरप्राइेज प्रांरभ किया जा सकता है । प्रत्येक जिला युनियन में माइक्रोइन्टरप्राईजेस प्रांरभ करने की स्थिति में 25x20= रू.5.00 करोड़ की आवश्यकता होगी । यह कार्य वन समिति/प्राथमिक वनोपज समिति के पास उपलब्ध राशि से तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध राशि से किया जा सकता है । इस प्रकार समस्त जिला यूनियनों में कार्य प्रांरभ होने से लाख उत्पादन में वृद्धि तथा क्षेत्र विस्तार होगा ।

इस कार्य क्रियान्वयन करने हेतु संबंधित प्राथमिक वनोपज समिति प्रबंधको को माइक्रो इन्टरप्राइजेस फेसिलिटेटर के रूप में चयन किया जा सकता है, जिस हेतु कार्यवाही जारी है ।

तदानुसार लाख प्रकोष्ठ के माध्यम से 25 जिला यूनियनों में इस कार्य को प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की मूलभूत सुविधा राशि अथवा वन सुरक्षा समितियों /ग्राम वन समितियों के पास उपलब्ध राशि तथा अन्य विभागों से राशि प्राप्त कर कराये जाने हेतु कार्यवाही करने के बाबत् समस्त जिला यूनियनों को निर्देशित करने हेतु निर्णय हुआ है ।

2.2.5. वृत्त स्तर पर लाख प्रकोष्ठ का गठन तथा अमले का प्रावधान ।

क्षेत्रीय कार्यो के नियंत्रण एवं सर्वेक्षण तथा राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ से समन्वय के लिये प्रत्येक वृत्त स्तर पर वन संरक्षक के अधीन एक जूनियर एक्सीक्यूटिव (लाख) तथा इनकी सहायता हेतु एक डाटा एन्ट्री आपरेट्र की संविदा नियुक्ति के संबंध में समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी ।

2.2.6. लाख फेसिलिटेशन सेंटर स्थापना

राज्य में लाख आधारित विकास की संभावनाऐं बहुत अधिक है । इसमें गति लाने हेतु प्रत्येक वृत्त मुख्यालय स्तर पर स्थापित NWFP मार्ट अंग के रूप मे लाख फेसिलिटेशन सेंटर प्रांरभ किया जाना आवश्यक है । इस फेसिलिटेशन सेंटर द्वारा समस्त हितग्राहियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जा सकता है । इस फेसिलिटेशन सेंटर का मुख्य दायित्व निम्नानुसार प्रस्तावित है ।

- लाख कृषकों को बीहन लाख उपलब्धता के बारे जानकारी एवं आवश्यकतानुसार बीहन उपलब्ध करना ।
- लाख कृषकों को लाख बिक्री हेतु सहयोग करना ।

- लाख प्रसंस्करण केंन्द्र स्थापना हेतु उचित मार्गदर्शन देना ।
- लाख खेती में बीमारी रोकथाम हेतु मार्गदर्शन देना ।
- नये कृषकों/विभाग या संस्थाओं को लाख पालन में प्रशिक्षण हेतु तकनीकी विशेषज्ञों या मास्टर ट्रेनर्स को उपलब्ध करना ।
- लाख प्रसंस्करण केन्द्र के साथ किसानो को जोडना आदि ।
- परियोजना निर्माण में सहयोग करना ।

उपरोक्त कार्य सम्पादन हेतु प्रत्येक लाख फेसिलिशन सेंटर में जूनियर मैनेजर (लाख) को संविदा पर नियुक्ति किया जाना है । लाख, किसान, बीहन प्रदाय लाख उद्योग संबंधी जानकारी डाटाबेस तैयार कर समय-समय पर उपयोग करने हेतु एक कम्प्यूटर, टेलीफोन एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर उपलब्ध करना है । तकनीकी सहयोग हेतु प्रत्येक सेंटर के साथ लाख पालन में प्रशिक्षित 10 मास्टर ट्रेनर्स की सेवाऐं आवश्यकतानुसार ली जाना प्रस्तावित है । इस पर कार्यवाही जारी है ।

2.2.7. मुख्यालय स्तर पर लाख प्रकोष्ठ हेतु अमले का प्रावधान ।

क्षेत्रीय कार्यो से समन्वय बनाने हेतु मुख्यालय स्तर पर वन संरक्षक टास्कफोर्स के अधीन प्रस्ताव अनुसार दो सीनियर मैनेजर एक्सीक्यूटिव (लाख) तथा एक डाटा एन्ट्री आपरेट्र की नियुक्ति के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी ।

2.2.8. लाख अनुसंधान संस्थान - रांची, वन उत्पादकता परिषद - रांची तथा शैलाक निर्यात परिषद, - कोलकता की भूमिका द्वारा लाख पालन, प्रसंस्करण एवं विपणन में आवश्यक सहयोग समय-समय पर लेने हेतु निर्णय हुआ है ।

उपरोक्त समिति द्वारा विगत 2 वर्षों में लाख पालन को बढ़ावा देने हेतु संघ द्वारा किये गये प्रयास की सराहना करते हुए भविष्य में क्षमता विकास पर अधिक जोर देने हेतु निर्णय लिया गया ।

2.2.9. लाख पालन हेतु संघ की ओर से किए गए कार्य -

लाख पालन हेतु वित्तीय 2006-07 में किये गये प्रयास निम्नानुसार है । बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत लाख पालन से संबंधित परियोजनाओं के तहत नीचे दर्शाये अनुसार कार्य किया जा रहा है ।

- बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत कांकेर, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, उत्तर कोंडागांव, नारायणपुर जिला यूनियनों से लाख पालन हेतु 189 मास्टर्स ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया हैं ।
- बस्तर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में लाख विस्तार परियोजना अंतर्गत कांकेर, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, उत्तर कोण्डागांव, नारायणपुर तथा कवर्धा जिला यूनियनों में 2000 कृषकों को लाख प्रशिक्षण एवं बीहन लाख प्रदाय करने की कार्यवाही जारी है । अब तक 1661 लोग प्रशिक्षित हो चुके हैं ।
- बस्तर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बीहन लाख फार्म स्थापना रू. 20.00 लाख की परियोजना के तहत कांकेर, पूर्व भानुप्रतापपुर, उत्तर कोण्डागांव एवं नारायणपुर क्षेत्र

में एक-एक ब्रूड लाख फार्म स्थापना की जावेगी । इस क्षेत्र में 500 कृषकों को ऑन-फार्म प्रशिक्षण दिया जावेगा ।

- सरगुजा एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण से प्राप्त राशि रू. 5.00 लाख से उत्तर सरगुजा, दक्षिण सरगुजा, पूर्वी सरगुजा, जशपुर, कोरिया में 183 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया ।

- सरगुजा-जशपुर उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर सरगुजा में दो, दक्षिण सरगुजा में एक एवं कोरिया में कुल 4 ब्रूड लाख फार्म की स्थापना हेतु रू. 20.00 लाख की परियोजना स्वीकृत हुई है । इस प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत की उपरोक्त जिला यूनियनों में 600 कृषकों को ऑन फार्म प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं ।

- सरगुजा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 2000 कृषकों को प्रशिक्षित करने एवं बीहन लाख प्रदाय करने हेतु रू. 35.00 लाख लागत की परियोजना स्वीकृत की गई है । इसके अंतर्गत जिला यूनियनो उत्तर सरगुजा, दक्षिण सरगुजा, पूर्व सरगुजा, जशपुर, कोरबा, मनेन्द्रगढ़ एवं कोरिया में प्रशिक्षण कार्य जारी है ।

- उपरोक्त समस्त कार्यो में तकनीकी सहायता भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची एवं वन उत्पादकता परिषद्, रांची से ली जा रही है ।

- उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप कृषकों की लाख पालन की तकनीक में सुधार के साथ-साथ लाख उत्पादन में वृद्धि से अतिरिक्त आय प्राप्त होने लगी है । उदाहरण के लिये कांकेर जिला यूनियन में विगत एक वर्ष में 1300 क्विंटल कुसुम लाख व 400 क्विंटल पलास लाख का उत्पादन हुआ । शैलाक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष 2005-06 में छत्तीसगढ़ लाख उत्पादन के क्षेत्र में देश में दूसरे स्थान पर है । वर्ष 2004-05 के तुलना में वर्ष 2005-06 में लाख उत्पादन में 40.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2005-06 में 3460 क्विंटल कुसुमी लाख, 4900 क्विंटल रंगीनी लाख कुल 8360 क्विंटल स्टीक लाख राज्य में उत्पादन हुई है । राज्य में लाख के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कांकेर के उप वनमंडलाधिकारी, श्री ए.आर.ठाकुर, लाख कृषक श्री पुरूषोत्तम मंडावी जिला यूनियन कांकेर को रांची के महामहिम राज्यपाल द्वारा लाख उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्यो के लिए भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के वार्षिक लाख मेले में पुरस्कृत किया गया है ।

2.3 माहुल पत्ता प्रसंस्करण -

छत्तीसगढ़ राज्य के 12 जिला यूनियनों में माहुल पत्ता संग्रहण प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है । तिरूमला तिरूपति देवस्थानाम के द्वारा 25.00 लाख 16'' के सादे पत्तल की आपूर्ति का आदेश प्राप्त हुआ है । वर्तमान में तिरूमला तिरूपति देवस्थानाम का 2.63 लाख सादा पत्तल की आपूर्ति की जा चुकी है । भाविष्य में राज्य की विभिन्न प्रसंस्करण इकाईयों में विपणन हेतु एक अच्छे बाजार की संभावना इस संस्था के रूप में है ।

2.4 शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण

- राज्य में शहद संग्रहण कर प्रसंस्करण करने हेतु बिलासपुर एवं जशपुर नगर में क्रमशः 1000 क्विंटल तथा 500 क्विंटल क्षमता वाले 2 प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किये गये हैं ।

- इस वित्तीय वर्ष में 305 क्विं. शहद एकत्रित कर 150 क्वि. प्रसंस्कृत किया गया है । वित्तीय वर्ष में 17.50 क्वि. बिक्री की गई है तथा प्रसंस्कृत शहद को एगमार्क द्वारा प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है ।

- शहद संग्रहण कार्य में विनाश विहीन प्रक्रिया अपनाने तथा निरन्तरता सुनिश्चित करने हेतु ट्रायफेड, नई दिल्ली की सहायता से दुर्ग एवं बिलासपुर वन वृत्त अन्तर्गत 350 शहद संग्राहकों प्रशिक्षित करने हेतु परियोजना स्वीकृत की गई है तथा उन्हे डंक प्रूफ ड्रेस, सुगम सीढ़ी प्रदाय की जावेगी ।

- बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत 30.30 लाख योजना से 11.59 लाख व्यय किए गए हैं । इसमें बीजापुर, दन्तेवाड़ा, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, नारायणपुर, बस्तर कांकेर, उत्तर कोंडागांव, दक्षिण कोंडागांव, सुकमा जिला यूनियनों में 566 शहद संग्राहकों तथा 61 कर्मचारियों को शहद संग्रहण की वैज्ञानिक पद्धति से संग्रहण का प्रशिक्षण दिलाया गया है तथा 405 नग डंगप्रूफ ड्रेस, सीढ़ी व शहद टेस्टिंग किट प्रदाय किए गए हैं ।

शहद प्रसंस्करण विपणन प्रगति

क्र.	प्रसंस्करण केन्द्र	कुल शहद प्रगति (क्विं में)			विक्रय मूल्य (रू. लाख में)
		संग्रहण	प्रसंस्करण	विपणन	
1	बिलासपुर	600.00	274.50	160.30	20.60
2	जशपुर	255.89	165.00	49.63	7.49
	योग	**855.89**	**439.50**	**209.93**	**28.09**

2.5 इमली प्रसंस्करण

- बस्तर क्षेत्र में बहुतायत में होने वाली इमली के द्वारा संग्राहकों को अतिरिक्त आय प्राप्त कराने के उद्देश्य से नारायणपुर, उत्तर कोंडागांव, जगदलपुर, सुकमा, दक्षिण कोंडागांव, बीजापुर एवं दन्तेवाड़ा जिला यूनियनों में सीजन 2006 में 1495 क्वि. आटी इमली, 1902 क्वि. फूल इमली तथा 232 क्वि. पैकेट इमली तैयार किया गया है । इसमें से 120.20 क्वि. इमली को विक्रय किया गया है । वर्तमान में इमली सीजन 2007 में फसल की मात्रा अधिक होने के कारण इमली क्रय दर में गिरावट आयी है, जिसके कारण उपरोक्त इमली के विक्रय में कठिनाई आ रही है ।

- सीजन 2007 में इमली क्रय करने हेतु रू. 80.00 लाख उपरोक्त जिला यूनियनों को प्रदाय किया जा चुका है एवं इमली प्रसंस्करण से जुड़े हुए स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण किया गया है ।

- दंतेवाड़ा में रू. 2.2 करोड़ की लागत से एक कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है । इस कार्य हेतु राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMD) सं रू. 1.50 करोड़, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण से रू. 0.50 करोड़ तथा शेष राशि

रू. 0.20 करोड़ संघ द्वारा वहन किया जावेगा । इससे स्थानीय इमली आंटी वनोपज गुणवत्ता में उचित भण्डारण से सुधार आयेगी ।

2.6 आंवला प्रसंस्करण

राज्य में संघ द्वारा विगत वर्षों में किए गए गई प्रयासों से सुखे आंवले के क्रय में वृद्धि हुई है । सीजन 2007 में 1000 क्वि. आंवला विभिन्न जिला यूनियनों के माध्यम से संग्रहण किया जा कर NWFP मार्ट द्वारा विक्रय करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2.7 चिरौजी प्रसंस्करण

राज्य में चिरौंजी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उत्तर कोंडागांव जिला यूनियन द्वारा 63 क्वि. चिरौंजी एकत्रित कर प्रसंस्करण कार्य जारी है ।

2.8 वनौषधि निर्माण

1. वर्तमान में उत्तर सरगुजा, पूर्व सरगुजा, दक्षिण सरगुजा, जशपुर नगर, मनेन्द्रगढ़, धरमजयगढ़, मरवाही, बिलासपुर, उदन्ती, महासमुन्द, जगदलपुर, सुकमा, धमतरी जिला यूनियनों में स्थापित औषधि निर्माण केन्द्रों में तैयार किये जा विभिन्न हर्बल उत्पादों को स्थानीय संजीवनी केन्द्र तथा NWFP मार्ट के माध्यम से विक्रय किया जा रहा हैं । वर्तमान में भारत शासन आदिवासी मामले के मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु प्राप्त राशि से रू. 3.00 लाख प्रति जिला यूनियन के मान से औषधि निर्माण केन्द्रों को सुदृढ़ करने हेतु प्रदाय किया गया है इसमें नये जिला यूनियन के रूप में नारायणपुर जिला यूनियन को शामिल किया गया है ।
2. वर्तमान में उपरोक्त केन्द्रों के माध्यम से लगभग 30 हर्बल उत्पाद तैयार होकर विक्रय किया जा रहे हैं । वर्तमान में इन उत्पादों की उत्पादन से अधिक मांग है । अतः उत्पादन बढ़ाने हेतु राशि प्रदाय की गई है ।

2.9 रतनजोत एवं करंज बीज का क्रय

शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर रू. 6.50 प्रति कि.ग्रा. की दर पर जट्रोफा एवं रू. 6.00 प्रति कि.ग्रा. की दर पर करंज बीज के क्रय का कार्य प्राथमिक वनोपज समिति मुख्यालय पर पूर्ण राज्य में किया जा रहा है परन्तु बाजार भाव अधिक होने के कारण समर्थन मूल्य पर बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

उपरोक्तानुसार विभिन्न लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण व विपणन कार्यो द्वारा वर्ष 2006-07 में प्राप्त प्रगति का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है ।

वर्ष 2006-07 (फरवरी 2007 तक) में अकाष्ठीय वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन की प्रगति

क्र.	प्रजाति	विवरण	परियोजना संख्या	संग्रहित / प्रसंस्करण किया उत्पाद मूल्य (रू. लाख में)	विक्रित उत्पाद मूल्य (रू. लाख में)
1	कच्चा लघु वनोपज	वनौषधि आदि का संग्रहण	8	23.00	4.50
2	लाख	लाख पालन	4	24.70	24.70
3	माहुल पत्ता	दोना पत्तल निर्माण	12	12.00	9.50
4	शहद	शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण	4+2	22.75	17.50
5	इमली	इमली प्रसंस्करण	7	74.50	6.80
6	तैलीय बीज	महुआ, कुसुम बीज प्रसंस्करण	2	4.60	4.80
7	आंवला	आंवला प्रसंस्करण	1	3.06	0.45
8	वनौषधि	वनौषधि निर्माण	13	32.50	22.60
		योग	**43**	**197.11**	**98.85**

3. विपणन

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विपणन हेतु सुनिश्चित व्यवस्था निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP मार्टो की स्थापना की गई है । प्रत्येक मार्ट में एक-एक थोक विक्रय केन्द्र, रिटेल विक्रय केन्द्र-संजीवनी तथा प्रसंस्करण सह पैकेजिंग केन्द्र स्थापना की गई है । इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित वृत्त में स्थानीय संग्राहक/स्व-सहायता समूह /वन समिति /प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है । इसके पश्चात उपरोक्त उत्पाद की रिटेल या थोक बिक्री संजीवनी/विज्ञापन/सेल्स एक्सीक्यूटिव के माध्यम से की जा रही है ।

प्रत्येक NWFP मार्ट संचालन हेतु एक सीनियर मैनेजर मार्केटिंग तथा एक जूनियर मैनेजर मार्केटिंग की नियुक्ति की गई है । उपरोक्त NWFP मार्ट संचालन हेतु प्रत्येक केन्द्र को रू. 10. 00 लाख कार्यपूंजी प्रदाय की गयी है एवं अधो संरचना विकास हेतु रू. 112.00 लाख प्रदाय किए गए हैं ।

- अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण करने के उपरांत हर्बल उत्पाद विक्री में गति लाने हेतु राज्य के समस्त जिला यूनियनों में संजीवनी विक्रय केन्द्रों की स्थापना की जा रही है । इस हेतु प्रत्येक केन्द्र के लिए रू. 1.50 लाख कार्यपूंजी एवं रू. 0.50 लाख साज-सज्जा हेतु कुल रू. 48.00 लाख की राशि 24 जिला यूनियनों को प्रदाय की गयी है । वर्तमान में राज्य के 7 जिला यूनियनों में संजीवनी केन्द्र स्थापित हैं । शेष जिलों में शीघ्र प्रारंभ हो जावेंगे ।

- हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है । विभिन्न जिला यूनियनों की प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों की एकरूपता के साथ पैकेजिंग, लेबलिंग एवं डिजाइनिंग का कार्य किया गया है ।

- राज्य के समस्त जिला यूनियनों की प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों द्वारा सेल्स एक्सीक्युटिव के रूप में रिटेल मार्केटिंग करने के उद्देश्य से 100 समिति प्रबंधकों का चयन कर प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है । इन्हें उत्पाद बिक्री करने पर अधिकतम एम. आर.पी. का 2 प्रतिशत कमीशन एवं 2 प्रतिशत परिवहन व्यय के रूप में दिया जा रहा है ।

- प्राथमिक वनोपज समिति, वन समिति आदि के माध्यम से तैयार किये जा रहे हर्बल उत्पादों की बिक्री में वृद्धि लाने हेतु मुद्रा कम्यूनिकेशन के माध्यम से 8 हर्बल उत्पादों की पैकेजिंग, लेबलिंग डिजाइनिंग का कार्य पूर्ण किया गया ।

- इसके अतिरिक्त विकासखंड/परिक्षेत्र स्तर पर संजीवनी विक्रय केन्द्रों की स्थापना तथा सेल्स एक्सीक्यूटिव की नियुक्ति हेतु कार्यवाही जारी है ।

NWFP मार्ट प्रगति वर्ष 2006-07

क्र	NWFP मार्ट का नाम	वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रदाय राशि (रू. लाख में)			क्रय किये गये उत्पाद का मूल्य (रू. लाख में)			विक्रय किये गये उत्पाद का मूल्य (रू. लाख में)			रिमार्क
		भवन निर्माण/ मरम्मत हेतु	कार्यपूंजी	योग	कच्ची लघु वनोपज	हर्बल उत्पाद	योग	कच्ची लघु वनोपज	हर्बल उत्पाद	योग	
1	जगलदलपुर	6.00	10.00	**16.00**	6.40	4.75	**11.15**	1.32	0.46	**1.78**	
2	कांकेर	4.00	10.00	**14.00**	7.92	4.50	**12.42**	24.77	0.78	**25.55**	रू. 24.70 लाख की बीहन लाख बिक्री
3	रायपुर	11.00	14.50	**25.50**	2.18	24.86	**27.04**	0.84	16.24	**17.08**	
4	दुर्ग	13.50	10.00	**23.50**	1.25	3.00	**4.25**	-	1.09	**1.09**	
5	बिलासपुर	4.00	10.00	**14.00**	0.29	3.65	**3.94**	-	2.50	**2.50**	
6	दक्षिण सरगुजा	9.00	10.00	**19.00**	3.96	2.78	**4.74**	0.14	2.24	**2.38**	
योग		**47.50**	**64.50**	**112.00**	**21.00**	**42.54**	**64.54**	**27.07**	**22.31**	**50.38**	

संजीवनी केन्द्र स्थापना प्रगति

क्र.	वन वृत्त	NWFP मार्ट	संजीवनी जिला यूनियन स्तर पर	संजीवनी विकासखंड/ औषधि केन्द्र स्तर पर	योग
1	जगदलपुर	1	-	-	1
2	कांकेर	1	-	5	6
3	रायपुर	1	2	-	3
4	दुर्ग	1	1	-	2
5	बिलासपुर	1	1	5	7
6	सरगुजा	1	3	2	6

योग	6	7	12	25
स्थापित स्थान	जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर	धमतरी, गरियाबंध, कवर्धा, जशपुर, कोरिया, रायगढ़, रामानुजगंज	नरहरपुर, सरोना, कोरर, चारामा, माकड़ी, कानन-पेण्डारी, बिलासपुर, केंवची, पाली, बालको, प्रतापपुर, जनकपुर	

4. सूचना प्रबंधन प्रणाली

- संघ मुख्यालय में एम.आई.एस. सेल की स्थापना कर बाजार का अध्ययन करवाया गया । इस पर आधारित साफ्टवेयर तैयार कर राज्य के लघु वनोपज व्यापारी, उद्यमियों, उत्पादन क्षेत्रों एवं बाजारों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है । इस जानकारी के माध्यम से लघु वनोपज संग्राहक, कृषक एवं व्यापारीयों लघु वनोपज व्यापार से संबंधित मुख्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा शीघ्र अपने माल का विक्रय कर, उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे । इसके तहत मार्केट सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर प्राथमिक वनोपज समितियों एवं अन्य को प्रदाय किया गया है ।

5. क्षमता विकास

अकाष्ठीय वनोपज आधारित माइक्रो इन्टरप्राइज स्थापना हेतु एक मार्गदर्शिका तैयार कर समस्त प्राथमिक वनोपज समितियों एवं अन्य को प्रदाय की गयी है ताकि वे माइक्रो इन्टरप्राइज स्थापना हेतु सक्रिय भूमिका निभायें । इसके साथ ही प्राथमिक वनोपज समिति प्रबंधक, जो माइक्रो इन्टरप्राइज फेसिलिटेटर के रूप में कार्य करना चाहते हैं की सूची तैयार की जा रही है ताकि उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाकर इस कार्य के साथ जोड़ा जा सके । सक्रिय भूमिका निभाने वाले उपरोक्त प्रबंधकों को उत्पाद दर का 0.5 प्रतिशत कमीशन के रूप में देय होगा ।

राज्य के समस्त लोक संरक्षित क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों तथा संग्राहकों को विनाश विहीन विदोहन द्वारा महत्वपूर्ण लघु वनोपज संग्रहण हेतु विशेष प्रशिक्षण स्थल पर दिया गया है । इस कार्य से 3159 संग्राहक तथा अन्य लाभान्वित हुए हैं ।

- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में संचालित प्रसंस्करण केन्द्रो का संचालन स्व-सहायता समूहों के द्वारा किया जाता है पर्याप्त जानकारी के अभाव में कार्य में प्रगति नही हो पा रही है । इस हेतु स्व-सहायता समूह गठन से संबंधित 4 दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का आयोजन महिला बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से बिलासपुर में किया गया । इसमें 116 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया ।

- विभिन्न जिला यूनियनों के प्रसंस्करण केन्द्रों का संचालन स्व सहायता समूहों के द्वारा किया जाता है । स्व-सहायता समूह सशक्तिकरण से संबंधित प्रशिक्षण में 363 महिला स्व सहायता समूह सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है ।

वर्ष 2006-07 में क्षमता विकास कार्यक्रम का विवरण

क्र.	प्रजाति	विवरण	हितग्राही संख्या	परियोजना नाम
1.	कच्चे लघु वनोपज संग्रहण	विनाश विहीन विदोहन द्वारा पी.पी.ए. क्षेत्र से कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण	3159	पी.पी.ए. संघ मद
2.	लाख	मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण	373	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा-जशपुर

				एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
3.	कुल्लू गोंद	मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण संग्राहकों का क्षमता विकास रिफ्रेशर प्रशिक्षण	80 200 429	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण
क्र.	**प्रजाति**	**विवरण**	**हितग्राही संख्या**	**परियोजना नाम**
4.	शहद	विनाश विहीन शहद संग्रहण	627	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण
5.	औषधि खेती एवं विपणन	मूल्यवान औषधि प्रजातियों की खेती व विपणन के बारे में सेडमेप द्वारा कृषकों को प्रशिक्षण	360	सुश्रुत वन -एन.एम.पी.बी.
6.	माहुल पत्ता, औषधि निर्माण केन्द्र	समूह सशक्तिकरण प्रशिक्षण	363	पी.पी.ए. संघ मद
7.	इमली	इमली प्रसंस्करण	323	यूरोपियन कमीशन परियोजना
8.		स्व-सहायता समूह गठन, मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण	116	पी.पी.ए. संघ मद
		योग	**5752**	

इस वित्तीय वर्ष में अकाष्ठीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य संपादित करने हेतु यूरोपियन कमीशन द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रारंभ की गयी है, जिसका घटकवार विवरण नीचे दर्शाया गया है ।

6. यूरोपियन कमीशन परियोजना -

I- परियोजना का घटकवार विवरण

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देकर, ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की आर्थिक सहायता से एक परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत की गई है । इसकी कुल लागत रू. 21.20 करोड़ है । वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु रू. 3.28 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है । उपरोक्त परियोजना वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होकर, तीन वर्ष तक क्रियान्वित रहेगी । इस परियोजना के अंतर्गत संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज प्रसंस्करण, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जायेंगे । परियोजना का घटकवार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है ।

1. संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

1.1 संसाधन सर्वेक्षण - इस घटक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वन क्षेत्रों में संसाधन सर्वेक्षण का कार्य किया जायेगा । इससे प्राप्त जानकारी एवं कार्य आयोजना से संबंधित जानकारी का संयुक्त विश्लेषण कर, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पायी जानी वाली मुख्य लघु वनोपज तथा उनके उत्पादन का आंकलन किया जायेगा । इस जानकारी के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में उचित विदोहन तकनीक द्वारा लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण करने हेतु रूपरेखा तैयार कर माइक्रोइन्टरप्राइजेस की स्थापना हेतु स्थल चयन किया जा सकेगा ।

1.2 हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा - इस घटक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के परंपरागत औषधि ज्ञान का सर्वेक्षण कर, प्रमाणीकरण कराकर उपयोगी एवं उन्नत वनौषधि/हर्बल उत्पादों का निर्माण, वनौषधालयों/औषधि प्रसंस्करण केन्द्रों के माध्यम से करा कर, स्थानीय ग्रामीणों को उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जावेंगे । इससे परंपरागत औषधि ज्ञान को उचित पहचान मिलने के साथ साथ अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी ।

2. लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य

इस घटक के अंतर्गत लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किये जायेंगे । प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइजेस में आवश्यकतानुसार लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य, प्राथमिक लघु वनोपज समिति/वन समिति/स्व सहायता समूहों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाएगें । इस घटक के अंतर्गत माइक्रोइन्टरप्राइज को चार वगों में वर्गीकृत किया गया है । प्रत्येक वर्ग में किये जाने वाले मुख्य कार्य एवं चयनित मुख्य लघु वनोपज संक्षेप में नीचे दर्शाये गए हैं । प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापना हेतु विस्तृत मार्गदर्शी नियम अध्याय 3 में दिए गए हैं ।

क्र.	वर्ग	माइक्रो इन्टरप्राइजेस के नाम	माइक्रो इन्टरप्राइज संख्या	कुल हितग्राही संख्या	प्रत्येक माइक्रो इन्टरप्राइजेस में	
					लागत प्रति (रू. लाख में)	लघु वनोपज मात्रा (क्विं. में)
2.1	लघु वनोपज उत्पादन	लाख खेती	9	4500	20.00	250
		शहद सग्रहण	7	1400	10.00	150
2.2	लघु वनोपज संग्रहण	वनौषधि संग्रहण	15	1500	6.00	100
2.3	लघु वनोपज प्रसंस्करण	इमली	5	1500	20.00	2000
		वृक्ष तैलीय बीज	17	8500	20.00	1000
		माहुल पत्ता	6	1800	20.00	1000
		चिरौंजी	2	1000	20.00	500
		आंवला	2	300	15.00	1500
2.4	लघु वनोपज विपणन	लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादों का समूहों के माध्यम से क्रय-विक्रय	100 समूह	1000	1.00	100

उपरोक्त तालिका में दर्शाए गये माइक्रोइन्टरप्राइज की, विभिन्न जिला यूनियनों में उपयुक्त क्षेत्रों में स्थापना की जाएगी । प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइजेस एक या दो प्राथमिक वनोपज समिति क्षेत्र में स्थापित किए जाएगे । उपरोक्त माइक्रोइन्टरप्राइजेस के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों से तकनीकी परामर्श एवं रिसोर्स पर्सन की सहायता ली जायेगी, ताकि हितग्राही पूर्ण क्षमता से कार्य करते हुए माइक्रोइन्टरप्राइजेस का लाभ ले सकें ।

3. विपणन

माइक्रोइन्टरप्राइजेस द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु सुव्यवस्थित मार्केट व्यवस्था की आवश्यकता है । अतः इस घटक के अंतर्गत प्रत्येक जिले में "संजीवनी" के नाम से हर्बल उत्पादों के विपणन हेतु प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी । साथ ही वनवृत्त स्तर पर स्थापित NWFP मार्ट के माध्यम से लघु वनोपज की बिक्री में गति लायी जायेगी तथा विभिन्न क्षेत्रों में संजीवनी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी । इसके अतिरिक्त निर्मित उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग में

तकनीकी सहायता के साथ-साथ समस्त जिलों में होल-सेल तथा रिटेल बिक्री कर, हर्बल उत्पादों के विपणन में गति लाया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु आवश्यकतानुसार उत्पादों के बारे में प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा ।

4. अनुसंधान एवं विस्तार

अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास कार्य संपादित करने हेतु उत्तम संग्रहण विधि, प्रसंस्करण विधि एवं नये उत्पाद विकसित करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है । अतः इस घटक के अंतर्गत उपरोक्त विषयों पर विशेषज्ञों की सहायता से प्रचलित पद्धतियों में आवश्यक सुधार या तकनीकी विकास किया जाना प्रस्तावित है ।

5. सूचना प्रबंधन प्रणाली

इस घटक के अंतर्गत संघ मुख्यालय को विभिन्न जिला यूनियनों के साथ कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा साफ्टवेयर के माध्यम से जोड़कर जानकारी का आदान-प्रदान किया जाएगा, ताकि जानकारियों के संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण में समय की बचत हो एवं मानव श्रम का सही उपयोग हो ।इस प्रणाली द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन तैयार किए जा सकेंगे, ताकि आवश्यकतानुसार वनोपज क्रय एवं विक्रय में गति लायी जा सके ।

6. प्रमाणीकरण

इस घटक के अंतर्गत संग्रहित, प्रसंस्कृत लघु वनोपज की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु सीजीसर्ट (छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण सोसाइटी), रायपुर के माध्यम से प्रमाणीकरण का कार्य कराया जाएगा । इसके अंतर्गत कच्ची या प्रसंस्कृत सामग्री की गुणवत्ता निर्धारण हेतु मापदंड तय करना एव इन पर अमल करना प्रस्तावित है । इस हेतु आवश्यकतानुसार अधोसंरचना विकास एवं प्रमाणीकरण के बारे में प्रचार-प्रसार भी इस घटक के तहत किया जाएगा ।

7. क्षमता विकास

अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास में दूरगाामी परिणाम लाने हेतु प्राथमिक वनोपज समिति/वन समिति एवं स्व सहायता समूहों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है । इसके लिए राज्य की 913 प्राथमिक वनोपज समितियों में से उपरोक्त संसाधन एवं क्षमता के आधार पर 100 समितियों को चिन्हांकित कर, क्षमता विकास कार्य किये जायेंगे । इस हेतु प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा कार्य शाला आदि आयोजित किये जायेंगे । साथ ही संलग्न वन कर्मचारियों की क्षमता विकास हेतु भी प्रयास किये जायेंगे ।

परियोजना लागत

क्र	घटक	वार्षिक लागत (रू करोड़ में)			योग (रू. करोड़ मे)
		प्रथम वर्ष 2006-07	द्वितीय वर्ष 2007-08	तृतीय वर्ष 2008-09	
1.1	संसाधन सर्वेक्षण	0.300	0.342	0.300	0.942
1.2	हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा				
1.2.1	लघु वनोपज का इथनोबॉटनिकल सर्वे एवं साईन्टिफिक वैलिडेशन	0.050	0.362	0.200	0.612
1.2.2	वनौषधालयों की स्थापना एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा	0.000	0.551	0.250	0.801
	योग	**0.350**	**1.256**	**0.750**	**2.356**
2	लघु वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य				
2.1	लघु वनोपज उत्पादन	0.210	1.838	1.250	3.298
2.2	लघु वनोपज संग्रहण	0.100	0.442	0.400	0.942

2.3	लघु वनोपज प्रसंस्करण	0.950	4.117	2.000	7.067
2.4	लघु वनोपज विपणन	0.100	0.442	0.400	0.942
	योग	**1.360**	**6.839**	**4.050**	**12.249**
क्र	**घटक**	**वार्षिक लागत (रू करोड़ में)**			**योग (रू. करोड़ मे)**
		प्रथम वर्ष 2006-07	**द्वितीय वर्ष 2007-08**	**तृतीय वर्ष 2008-09**	
3	विपणन				
3.1	पैकेजिंग में सुधार	0.050	0.133	0.100	0.283
3.2	ब्राण्ड एवं उत्पादों का प्रचार-प्रसार	0.100	0.083	0.100	0.283
3.3	मार्केटिंग एक्जिक्यूटिव वेतन आदि	0.200	0.165	0.200	0.565
3.4	"संजीवनी" - प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्रों की स्थापना	0.200	0.254	0.300	0.754
3.5	मार्केट अध्ययन एवं सर्वेक्षण	0.050	0.136	0.050	0.236
3.6	राष्ट्रीय बाजारों में लघु वनोपज की मांग एवं दरों की जानकारी हेतु सूचना प्रणाली का विकास	0.000	0.136	0.100	0.236
	योग	**0.600**	**0.906**	**0.850**	**2.356**
4	अनुसंधान एवं विस्तार				
4.1	उचित संग्रहण पद्धति एवं विनाश विहीन विदोहन की तकनीकों पर अनुसंधान एवं विस्तार	0.000	0.138	0.050	0.188
4.2	प्रसंस्करण तकनीकों पर अनुसंधान एवं विस्तार	0.050	0.221	0.200	0.471
4.3	नये उत्पादों के निर्माण हेतु अनुसंधान एवं विस्तार	0.050	0.183	0.050	0.283
	योग	**0.100**	**0.542**	**0.300**	**0.942**
5	सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस)				
5.1	एम.आई.एस. संघ मुख्यालय स्तर पर	0.050	0.086	0.100	0.236
5.2	एम.आई.एस. वृत्त एवं जिला यूनियन स्तर पर	0.200	0.265	0.100	0.565
5.3	साफ्टवेयर का विकास	0.100	0.177	0.100	0.377
	योग	**0.350**	**0.528**	**0.300**	**1.178**
6	प्रमाणीकरण				
6.1	प्रमाणीकरण हेतु प्रोटोकाल विकसित करना	0.050	0.136	0.050	0.236
6.2	परियोजनाओं का क्रियान्वयन	0.000	0.177	0.200	0.377
6.3	अधोसंरचना का विकास जैसे परीक्षण संयंत्र इत्यादि	0.000	0.136	0.100	0.236
6.4	प्रचार-प्रसार	0.000	0.044	0.050	0.094
	योग	**0.050**	**0.492**	**0.400**	**0.942**
7	क्षमता विकास				
7.1	प्राथमिक वनोपज समिति/वन समिति एवं वन अमले का सशक्तिकरण	0.050	0.133	0.100	0.283
7.2	हितग्राहियों का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र भ्रमण	0.100	0.362	0.150	0.612
7.3	सेमिनार एवं कार्यशाला का आयोजन	0.050	0.133	0.100	0.283
	योग	**0.200**	**0.628**	**0.350**	**1.178**
	महायोग	**3.010**	**11.190**	**7.000**	**21.200**

7. वित्तीय वर्ष 2006-07 में उपलब्ध राशि एवं व्यय का विवरण-

वित्तीय वर्ष 2006-07 में उपलब्ध राशि एवं व्यय का विवरण मदवार नीचे तालिका में दर्शाया गया है -

क्र.	मद का नाम	परियोजना	वित्तीय प्रगति (रू. लाख में)	
			प्राप्त राशि	व्यय राशि
1	आदिवासी उपयोजना, भारत सरकार वर्ष 2006-07	लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण	158.00	157.00
2	यूरोपियन कमीशन	अकाष्ठीय वनोपज जीवकोपार्जन कार्य	328.00	145.00
3.	पी पी ए - संघ	अंतः स्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, वनौषधालय	142.00	180.00
4	पी पी ए - आदिवासी उपयोजना, राज्य शासन	अंतः स्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, वनौषधालय	100.00	104.00
5	एन एम पी बी	अंतः स्थलीय संवर्धन बाह्य स्थलीय संवर्धन औषधि प्रसंस्करण विपणन व्यवस्था धमतरी	85.25	85.25
6	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण	लाख विस्तार कार्य	35.00	27.29
7	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण	शहद संग्रहण में क्षमता विकास	30.30	28.79
8	सरगुजा-जशपुर एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	लाख पालन विस्तार कार्यक्रम प्रशिक्षण	35.00	19.38
9	सरगुजा-जशपुर एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	लाख ऑनफार्म प्रशिक्षण एवं ब्रूडलाख फार्म स्थापना	20.00	12.25
10	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण ।	लाख आन फार्म प्रशिक्षण एक ब्रूड लाख	20.00	12.00
11	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण	48.00	30.00
12	NMDC के वित्तीय अनुदान	कोल्ड स्टोरेज दंतेवाड़ा	150.00	
		योग	**1151.55**	**800.95**

परिशिष्ट - अ

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित हेतु स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

अ. क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	1	2	-1	0	0	0	0	0	0	1	2	-1
4	महाप्रबंधक (वन संरक्षक)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
5	उप वन संरक्षक	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
6	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	1	1	6	3	3	31	23	8	39	27	12
10	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	140	86	54	140	86	54
12	प्रणाली विश्लेषक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	आयुर्वेद चिकित्सक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
16	डाटा एन्ट्री आपरेटर (नियमित)	2	0	2	6	2	4	0	0	0	8	2	6
17	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)	5	3	2	0	0	0	32	32	0	37	35	2
18	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
19	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
20	शीघ्रलेखक (नियमित वेतनमान)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
21	सहायक लेखाधिकारी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
22	अधीक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
23	लेखा अधीक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
24	वरिष्ठ लेखापाल	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
25	लेखापाल	4	4	0	6	2	4	37	23	14	47	29	18
26	कनिष्ट लेखापाल	6	5	1	6	5	1	19	8	11	31	18	13
27	सहायक वर्ग-3	9	3	6	6	4	2	18	5	13	33	12	21
28	स्वागतकर्ता सहायक वर्ग-3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
29	वाहन चालक	6	2	4	6	8	-2	0	0	0	12	10	2
30	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
31	संदेशवाहक	12	1	11	12	4	8	49	6	43	73	11	62
32	चौकीदार	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग	**77**	**41**	**36**	**48**	**28**	**20**	**326**	**183**	**143**	**451**	**252**	**199**

परिशिष्ट - क-1

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण)

संग्रहण वर्ष : 2006

जिला यूनियन का नाम	विक्रित लाटों का विवरण			
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	27	31802.616	28606837.11	899.51
सुकमा	23	46506.931	38405429.47	825.80
दंतेवाड़ा	8	14033.419	10913142.93	777.65
जगदलपुर	14	21125.960	15613628.47	739.07
दक्षिण कोंडागांव	8	13566.615	9514098.09	701.29
उत्तर कोंडागांव	16	24913.349	18791947.53	754.29
नारायणपुर	11	18179.903	14083278.17	774.66
पूर्व भानुप्रतापपुर	55	88867.115	104275395.85	1173.39
पश्चिम भानुप्रतापपुर	48	54553.215	49033449.72	898.82
कांकेर	24	36558.890	39564171.20	1082.20
राजनांदगांव	46	65061.132	63895366.15	982.08
खैरागढ़	19	30661.920	23603438.07	769.80
दुर्ग	18	27855.545	28557750.85	1025.21
कवर्धा	24	41294.020	36414851.50	881.84
धमतरी	23	30749.030	35320115.73	1148.66
उदन्ती	19	26543.762	28780966.66	1084.28
पूर्व रायपुर	43	65326.100	76835659.81	1176.19
महासमुंद	69	98721.700	95967244.75	972.10
रायपुर	16	25145.815	24789634.04	985.84
बिलासपुर	7	11207.510	9685580.31	864.20
मरवाही	28	43057.250	39933395.37	927.45
जांजगीर-चांपा	7	9545.465	5848454.15	612.69
रायगढ़	41	58528.130	52755818.72	901.38
धरमजयगढ़	53	81113.635	90419384.83	1114.72
कोरबा	34	56068.037	64301435.00	1146.85
कटघोरा	39	77791.845	82006373.17	1054.18
जशपुर नगर	20	31579.577	24589181.14	778.64
मनेन्द्रगढ़	20	36334.200	34551003.42	950.92
कोरिया	14	27600.985	26522017.52	960.91
दक्षिण सरगुजा	28	67561.575	55166054.98	816.53
पूर्व सरगुजा	27	55917.238	40425836.58	722.96
उत्तर सरगुजा	52	124607.310	89792203.63	720.60
कुल योग	**881**	**1442379.794**	**1358963144.92**	**942.17**

परिशिष्ट - क-2

जिला यूनियनवार गोदामीकृत लाटों के विक्रय का विवरण (वास्तविक संग्रहण)

संग्रहण वर्ष : 2006

जिला यूनियन का नाम	कुल लाट		विक्रित लाटों का विवरण				अविक्रित लाटों का विवरण	
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)
सुकमा	2	1365.766	2	1365.766	2142886.85	1569.00	0	0.000
दंतेवाड़ा	3	3178.936	3	3178.936	5660926.42	1780.76	0	0.000
जगदलपुर	1	914.864	1	914.864	1411635.15	1543.00	0	0.000
दक्षिण कोंडागांव	3	5821.705	3	5821.705	9203910.37	1580.96	0	0.000
नारायणपुर	1	2388.260	1	2388.260	3997947.24	1674.00	0	0.000
पश्चिम भानुप्रतापपुर	7	7760.845	7	7760.845	9225490.96	1188.72	0	0.000
राजनांदगांव	1	2143.770	1	2143.770	3556514.43	1659.00	0	0.000
खैरागढ़	1	1566.000	1	1566.000	2367792.00	1512.00	0	0.000
पूर्व सरगुजा	2	4460.284	2	4460.284	3661104.21	820.82	0	0.000
कुल योग	**21**	**29600.430**	**21**	**29600.430**	**41228207.63**	**1392.82**	**0.00**	**0.000**

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (अनुमानित मात्रा)

संग्रहण वर्ष : 2007

जिला यूनियन का नाम	कुल लाट		विक्रित लाटों का विवरण			
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक
बीजापुर	28	51000.000	28	51000.000	98081900.00	1923.17
सुकमा	41	84300.000	41	84300.000	141754500.00	1681.55
दंतेवाड़ा	13	25800.000	13	25800.000	40898400.00	1585.21
जगदलपुर	15	23500.000	15	23500.000	40156400.00	1708.78
दक्षिण कोंडागांव	11	20900.000	11	20900.000	36164200.00	1730.34
उत्तर कोंडागांव	16	29700.000	16	29700.000	54118900.00	1822.19
नारायणपुर	12	21400.000	12	21400.000	34485000.00	1611.45
पूर्व भानुप्रतापपुर	55	105900.000	55	105900.000	229503800.00	2167.17
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	99700.000	55	99700.000	155923900.00	1563.93
कांकेर	24	49700.000	24	49700.000	104687700.00	2106.39
राजनांदगांव	51	101600.000	51	101600.000	182850600.00	1799.71
खैरागढ़	24	53100.000	24	53100.000	85059400.00	1601.87
दुर्ग	18	33800.000	18	33800.000	65876200.00	1949.00
कवर्धा	24	50300.000	24	50300.000	87785700.00	1745.24
धमतरी	23	35800.000	23	35800.000	74300800.00	2075.44
उदन्ती	19	27900.000	19	27900.000	59799800.00	2143.36
पूर्व रायपुर	43	73300.000	43	73300.000	168606700.00	2300.23
महासमुंद	69	113300.000	69	113300.000	222113000.00	1960.40
रायपुर	16	30400.000	16	30400.000	62136700.00	2043.97
बिलासपुर	7	12800.000	7	12800.000	21960400.00	1715.66
मरवाही	28	49400.000	28	49400.000	90999500.00	1842.10
जांजगीर-चांपा	7	11500.000	7	11500.000	15986900.00	1390.17
रायगढ़	41	75500.000	41	75500.000	148490700.00	1966.76
धरमजयगढ़	53	90300.000	53	90300.000	209650600.00	2321.71
कोरबा	34	58900.000	34	58900.000	131980100.00	2240.75
कटघोरा	39	82000.000	39	82000.000	182886400.00	2230.32
जशपुर नगर	20	38700.000	20	38700.000	64853500.00	1675.80
मनेन्द्रगढ़	20	40200.000	20	40200.000	85543200.00	2127.94
कोरिया	14	31300.000	14	31300.000	68289100.00	2181.76
दक्षिण सरगुजा	28	67900.000	28	67900.000	116979200.00	1722.82
पूर्व सरगुजा	29	70300.000	29	70300.000	106048000.00	1508.51
उत्तर सरगुजा	52	135200.000	52	135200.000	217079300.00	1605.62
कुल योग	**929**	**1795400.000**	**929**	**1795400.000**	**3405050500.00**	**1896.54**

DISPOSAL OF SALSEED COLLECTION SEASON 2006

District Union	Unit No.	Unit Name	Lot No.	Estimated Quantity (In Qntls.)	Collected Quantity (In Qntls.)	Sold Rate		Name of the Purchaser	Tender Date	Sale Price w.r.t. Collected Qty.	Expenditure w.r.t. Collected Qty.
Korea	1	Korea		1500.000	2759.750	620.00	**Adv.**	M/s Paras Vanaspati Pvt. Ltd.	06/07/2006	1711045.00	1407472.50
Manendragarh	2	Manendragarh		2000.000	153.670	725.00	**Adv.**	M/s Charbhuja Trading and Agencies P.Ltd.	24/05/2006	111410.75	78371.70
N.Sarguja	3	N.Sarguja		1000.000	0.000	741.00	**Adv.**	M/s Pranav International	24/05/2006	0.00	0.00
E.Sarguja	4	E.Sarguja		15000.000	4353.760	757.00	**Adv.**	M/s Producin Pvt. Ltd.	24/05/2006	3295796.32	2220417.60
S.Sarguja	5	S.Sarguja		5000.000	865.180	739.00	**Adv.**	M/s Pranav International	08/05/2006	639368.02	441241.80
Jashpurnagar	6	Upperghat		15000.000	6278.380	725.00	**Adv.**	M/s Paras Vanaspati Pvt. Ltd.	25/04/2006	4551825.50	3201973.80
Jashpurnagar	7	Lowerghat		5000.000	818.390	763.00	**Adv.**	M/s Progressive Exim Ltd.	07/06/2006	624431.57	417378.90
Korba	8	Korba		500.000	0.000	739.00	**Adv.**	M/s Pranav International	08/05/2006	0.00	0.00
Raigarh	9	Raigarh		500.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Dharamjaigarh	10	Dharamjaigarh		2000.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Katghora	11	Katghora		2500.000	42.080	739.00	**Adv.**	M/s Pranav International	08/05/2006	31097.12	21460.80
Bilaspur	12	Bilaspur		600.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Marwahi	13	Marwahi		8000.000	564.000	787.00	**Adv.**	M/s Foods Fats & Fertilisers Ltd.	07/06/2006	443868.00	287640.00
Kanker	14	Kanker		2000.000	679.860	739.00	**Adv.**	M/s Pranav International	08/05/2006	502416.54	346728.60
E.Bhanupratappur	15	Bhanupratappur		4000.000	1491.810	727.00	**Adv.**	M/s Producin Pvt. Ltd.	08/05/2006	1084545.87	760823.10
E.Bhanupratappur	16	Amabeda		8000.000	2170.650	787.00	**Adv.**	M/s Foods Fats & Fertilisers Ltd.	07/06/2006	1708301.55	1107031.50
W.Bhanupratappur	17	Koylibeda	1	2000.000	80.000	550.00	Gdn.	M/s Progressive Exim Ltd.	15/11/2006	44000.00	52240.00
N.Kondagaon	18	Baderajpur		8000.000	444.800	733.00	**Adv.**	M/s Producin Pvt. Ltd.	08/05/2006	326038.40	226848.00
N.Kondagaon	19	Keshkal		4000.000	3093.400	733.00	**Adv.**	M/s Producin Pvt. Ltd.	08/05/2006	2267462.20	1577634.00
N.Kondagaon	20	Pharasgaon		4000.000	517.800	733.00	**Adv.**	M/s Producin Pvt. Ltd.	08/05/2006	379547.40	264078.00
N.Kondagaon	21	Badedongar		4000.000	1301.750	735.00	**Adv.**	M/s Charbhuja Trading and Agencies P.Ltd.	24/05/2006	956786.25	663892.50
S.Kondagaon	22	Makdi		20000.000	2337.320	727.00	**Adv.**	M/s Producin Pvt. Ltd.	08/05/2006	1699231.64	1192033.20
S.Kondagaon	23	Kondagaon		20000.000	2464.920	727.00	**Adv.**	M/s Producin Pvt. Ltd.	08/05/2006	1791996.84	1257109.20
S.Kondagaon	24	Mulmula		20000.000	1461.550	752.00	**Adv.**	M/s Foods Fats & Fertilisers Ltd.	24/05/2006	1099085.60	745390.50
S.Kondagaon	25	Mardapal		10000.000	862.490	727.00	**Adv.**	M/s Producin Pvt. Ltd.	08/05/2006	627030.23	439869.90
Narayanpur	26	Narayanpur		5000.000	332.620	732.00	**Adv.**	M/s Exotic Fats Exim	08/05/2006	243477.84	169636.20
Dantewada	27	Dantewada		1500.000	177.080	726.00	**Adv.**	M/s Exotic Fats Exim	07/06/2006	128560.08	90310.80
Jagdalpur	28	Bakawand		18000.000	3910.860	735.00	**Adv.**	M/s Foods Fats & Fertilisers Ltd.	08/05/2006	2874482.10	1994538.60
Jagdalpur	29	Karpawand		10000.000	1986.950	771.00	**Adv.**	M/s Foods Fats & Fertilisers Ltd.	24/05/2006	1531938.45	1013344.50
Jagdalpur	30	Jagdalpur		14000.000	1386.630	735.00	**Adv.**	M/s Foods Fats & Fertilisers Ltd.	08/05/2006	1019173.05	707181.30
Jagdalpur	31	Bhanpuri		17000.000	4354.910	735.00	**Adv.**	M/s Foods Fats & Fertilisers Ltd.	08/05/2006	3200858.85	2221004.10
Sukma	32	Sukma		3000.000	344.430	741.00	**Adv.**	M/s Pranav International	24/05/2006	255222.63	175659.30
E.Raipur	33	E.Raipur		8000.000	206.040	743.00	**Adv.**	M/s Producin Pvt. Ltd.	08/05/2006	153087.72	105080.40
Udanti	34	Udanti		5000.000	295.810	741.00	**Adv.**	M/s Exotic Fats Exim	08/05/2006	219195.21	150863.10
Mahasamund	35	Mahasamund		200.000	0.000	733.00	**Adv.**	M/s Producin Pvt. Ltd.	08/05/2006	0.00	0.00
Raipur	36	Raipur		300.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Dhamtari	37	Dhamtari		9000.000	1980.800	774.00	**Adv.**	M/s Paras Vanaspati Pvt. Ltd.	08/05/2006	1533139.20	1010208.00
Kawardha	38	Kawardha		1500.000	1109.250	762.00	**Adv.**	M/s Paras Vanaspati Pvt. Ltd.	08/05/2006	845248.50	565717.50
				257100.000	**48826.940**					**35899668.43**	**24913179.40**

Total Sold Quantity : 48826.94

Total Unsold Quantity : 0.00

Total Sale Value w.r.t. Collected Quantity	**35899668.43**
Sale Rate per quintal	**735.24**
Total Expenditure @ 510/- and @ 653/- per quintal	**24913179.40**
Net Profit	**10986489.03**
Net Profit per quintal	**225.01**
Collection Wages @ 350/- and Bonus @ 150/- per quintal	**24413470.00**

परिशिष्ट - घ

DISPOSAL OF HARRA COLLECTION SEASON 2004-2005

Date : 10.08.2015

District Union	Unit No.	Unit Name	Lot No.	Estimated Quantity (In Qntls.)	Collected Quantity			Sold Rate		Name of the Purchaser	Tender Date	Sale Price w.r.t. Collected Qty.	Expenditure w.r.t. Collected Qty.
					Harra (In Qntls.)	Kacharia (In Qntls.)	Bal Harra (In Qntls.)						
Kanker	1	Kanker		5000.000	2484.140	0.000	0.000	292.00	**Adv.**	M/S ASHOK TRADING CO.	12/07/2004	725368.88	638175.57
Kanker	2	Narharpur		4000.000	2280.000	250.000	0.000	307.00	**Adv.**	MR. PRAKASH CHAND KHATWANI	12/07/2004	891835.00	746294.50
Kanker	3	Sarona		1000.000	653.070	0.000	0.000	275.00	**Adv.**	M/S ASHOK TRADING CO.	12/07/2004	179594.25	167773.68
Kanker	4	Korar		2000.000	1989.880	0.000	0.000	271.00	**Adv.**	M/S ASHOK TRADING CO.	12/07/2004	539257.48	511200.17
Kanker	5	Charama		4000.000	1150.000	21.070	0.000	255.00	**Adv.**	M/S DOSHI ENTERPRISES	02/06/2004	306682.13	308967.21
N.Kondagaon	6	Pharasgaon		2000.000	5177.290	0.000	0.000	256.00	**Adv.**	M/S PRAVINCHANDRA SHANTILAL & CO.	08/02/2005	1325386.24	1330045.80
N.Kondagaon	7	Keshkal		2000.000	5032.700	0.000	0.000	271.00	**Adv.**	MR. ARUN KUMAR SHRIVASTAVA	12/07/2004	1363861.70	1292900.63
S.Kondagaon	8	E. Kondagaon		3000.000	6500.000	0.000	0.000	251.00	**Adv.**	M/S PRAVINCHANDRA SHANTILAL & CO.	21/12/2004	1631500.00	1669850.00
S.Kondagaon	9	W.Kondagaon		3000.000	2104.860	0.000	0.000	267.00	**Adv.**	M/S ASHOK TRADING CO.	08/02/2005	561997.62	540738.53
Narayanpur	10	N.Narayanpur		3000.000	3191.150	0.000	0.000	251.00	**Adv.**	M/S PRAVINCHANDRA SHANTILAL & CO.	21/12/2004	800978.65	819806.44
Narayanpur	11	S.Narayanpur		3000.000	3397.020	0.000	0.000	252.00	**Adv.**	M/S PRAVINCHANDRA SHANTILAL & CO.	08/02/2005	856049.04	872694.44
E.Bhanupratappur	12	Bhanupratappur		2000.000	2796.070	0.000	0.000	252.00	**Adv.**	M/S RADHAKISHAN SATYANARAYAN RATHI	21/12/2004	704609.64	718310.38
E.Bhanupratappur	13	Antagarh		3000.000	4709.890	0.000	0.000	257.00	**Adv.**	M/S DOSHI ENTERPRISES	08/02/2005	1210441.73	1209970.74
E.Bhanupratappur	13	Antagarh	13	0.000	421.890	0.000	0.000	169.00	**Gdn.**	M/S DOSHI ENTERPRISES	07/03/2006	71299.41	130785.90
W.Bhanupratappur	14	E.Kapsi		1000.000	1056.260	0.000	6.750	255.00	**Adv.**	M/S DOSHI ENTERPRISES	08/02/2005	279673.80	281757.64
W.Bhanupratappur	15	W.Kapsi		1000.000	180.000	0.000	0.000	0.00	**Gdn.**			0.00	55800.00
Jagdalpur	16	Bastar	1	2000.000	4005.190	0.000	0.000	201.00	**Gdn.**	M/S DOSHI ENTERPRISES	17/01/2006	805043.19	1241608.90
Sukma	17	Sukma	2	200.000	135.000	0.000	0.000	51.00	**Gdn.**	M/S PRAVINCHANDRA SHANTILAL & CO.	27/10/2006	6885.00	41850.00
Dantewada	18	Dantewada	3	300.000	403.150	0.000	0.000	131.00	**Gdn.**	M/S DOSHI ENTERPRISES	07/03/2006	52812.65	124976.50
Bijapur	19	Bijapur		100.000	0.000	0.000	0.000	0.00	**Gdn.**			0.00	0.00
Raipur	20	Raipur		100.000	0.000	0.000	0.000	272.00	**Adv.**	M/S SHANKAR HERBALS	12/07/2004	0.00	0.00
Mahasamund	21	Mahasamund		1000.000	724.000	80.000	0.000	312.00	**Adv.**	M/S RAMPHAL DINESH KUMAR AGRAWAL	12/07/2004	288288.00	237375.60
Dhamtari	22	Dhamtari		1500.000	2815.430	443.480	10.050	255.00	**Adv.**	M/S TULSIDAS BHAGWANDAS	02/06/2004	1016029.65	1023600.07
E.Raipur	23	E.Raipur		1000.000	74.000	0.000	0.000	256.00	**Adv.**	M/S DOSHI ENTERPRISES	08/02/2005	18944.00	19010.60
Udanti	24	Udanti	4	1000.000	361.112	0.000	0.000	262.00	**Gdn.**	M/S MEMAN TRADERS	23/11/2005	94611.34	111944.72
Durg	25	Durg		400.000	226.250	39.100	0.000	255.00	**Adv.**	M/S DOSHI ENTERPRISES	02/06/2004	82620.00	83235.60
Kawardha	26	Kawardha		800.000	26.660	0.000	0.000	258.00	**Adv.**	M/S MEMAN TRADERS	08/02/2005	6878.28	6848.95
Khairagarh	27	Khairagarh		400.000	20.570	0.000	25.610	258.00	**Adv.**	M/S MEMAN TRADERS	08/02/2005	44951.34	44759.69
Rajnandgaon	28	Rajnandgaon		3500.000	1564.000	0.000	0.000	267.00	**Adv.**	M/S DEVSHRI INDUSTRIES	08/02/2005	417588.00	401791.60
Bilaspur		Bilaspur	5	0.000	77.300	0.000	0.000	125.00	**Gdn.**	M/S BAHUBALI UDYOG	16/05/2006	9662.50	23963.00
Marwahi	29	Marwahi		430.000	430.000	0.000	0.000	261.00	**Adv.**	M/ DURGESH TRADERS	02/06/2004	112230.00	110467.00
Korba	30	Korba	6	300.000	36.900	169.720	0.000	102.00	**Gdn.**	MR. RAJESH KUMAR AGRAWAL	27/10/2006	47042.40	142972.00
Karghora	31	Katghora	7	250.000	0.000	2.130	0.000	0.00	**Gdn.**			0.00	1650.75
Raigarh	32	Raigarh		250.000	105.000	100.000	0.000	255.00	**Adv.**	MR. RAJESH KUMAR AGRAWAL	12/07/2004	90525.00	91199.50
Dharamjaigarh	33	Dharamjaigarh		1000.000	67.900	50.750	0.000	255.00	**Adv.**	MR. RAJESH KUMAR AGRAWAL	12/07/2004	49667.63	50037.70
E.Sarguja	34	E.Sarguja		500.000	115.000	0.000	0.000	272.00	**Adv.**	MR. MURARI LAL BANSAL	12/07/2004	31280.00	29543.50
N.Sarguja	35	N.Sarguja		500.000	115.500	0.000	0.000	300.00	**Adv.**	M/S GANESH TRADERS	02/06/2004	34650.00	29671.95
S.Sarguja	36	S.Sarguja		400.000	130.000	0.000	0.000	303.00	**Adv.**	M/S GANESH TRADERS	02/06/2004	39390.00	33397.00
Manendragarh	37	Manendragarh	8	2000.000	60.760	340.190	0.000	256.00	**Gdn.**	M/S BAHUBALI UDYOG	23/11/2005	233276.16	282482.85
Manendragarh	37	Manendragarh	9		549.370	0.000	0.000	252.00	**Gdn.**	M/S BAHUBALI UDYOG	23/11/2005	138441.24	170304.70
Korea	38	Korea	10	400.000	394.590	152.450	0.000	252.00	**Gdn.**	M/S BAHUBALI UDYOG	23/11/2005	195480.18	240471.65
Jashpurnagar	39	Jashpur Nagar	11	500.000	308.300	0.000	0.000	155.00	**Gdn.**	MR. RAJESH KUMAR AGRAWAL	07/03/2006	47786.50	95573.00
Jashpurnagar	39	Jashpur Nagar	12		359.590	0.000	0.000	155.00	**Gdn.**	MR. RAJESH KUMAR AGRAWAL	07/03/2006	55736.45	111472.90
				57830.000	**56229.792**	**1648.890**	**42.410**					**15368355.07**	**16045281.36**

Total Quantity of Harra 60606.477
Sold Harra 60421.152
Unsold Harra 185.325

Total Sale Value w.r.t. Coll. Quantity 15368355.07
Sale Rate per quintal 254.35
Total Expenditure @ 256.90/- and @ 310/- per quintal 16045281.36
Net Profit -676926.29
Net Profit per quintal -11.20
Collection wages @ 250/- per Quintal 15151619.25

परिशिष्ट - ड.

DISPOSAL OF HARRA COLLECTION SEASON 2005-2006

Date : 10.08.2015

District Union	Unit No.	Unit Name	Lot No.	Estimated Quantity (In Qntls.)	Collected Quantity				Sold Rate		Name of the Purchaser	Tender Date	Sale Price w.r.t. Collected Qty.	Expenditure w.r.t. Collected Qty.
					Harra (In Qntls.)	Kacharia (In Qntls.)	Bal Harra (In Qntls.)	Total Harra (In Qntls.)						
Kanker	1	Kanker		5000.000	4000.000	0.000	0.000	4000.000	272.00	**Adv.**	M/s Devshri Industries	07/07/2005	1088000.00	1027600.00
Kanker	2	Narharpur		4000.000	3784.320	405.850	0.000	4798.945	276.00	**Adv.**	M/s Ashok Trading Company	07/07/2005	1324508.82	1232848.97
Kanker	3	Sarona		1000.000	575.890	0.000	0.000	575.890	292.00	**Adv.**	M/s Prakash Chand Khatwani	05/10/2005	168159.88	147946.14
Kanker	4	Korar		2000.000	2994.800	0.000	0.000	2994.800	267.00	**Adv.**	M/s Ashok Trading Company	05/10/2005	799611.60	769364.12
Kanker	5	Charama		4000.000	2723.090	108.290	0.000	2993.815	262.00	**Adv.**	M/s Pravinchandra Shantilal & Co.	07/07/2005	784379.53	769111.07
N.Kondagaon	6	Pharasgaon		2000.000	1614.180	0.000	0.000	1614.180	280.00	**Adv.**	M/s Prakash Chand Khatwani	07/03/2006	451970.40	414682.84
N.Kondagaon	7	Keshkal		2000.000	3000.000	0.000	0.000	3000.000	268.00	**Adv.**	M/s Prakash Chand Khatwani	05/10/2005	804000.00	770700.00
S.Kondagaon	8	E. Kondagaon		3000.000	757.150	0.000	0.000	757.150	251.00	**Adv.**	M/s Doshi Enterprises	17/01/2006	190044.65	194511.84
S.Kondagaon	9	W.Kondagaon	1	3000.000	124.470	0.000	0.000	124.470	267.00	Gdn.	M/s Radhakishan Satyanarayan Rathi	05/09/2006	33233.49	38585.70
Narayanpur	10	N.Narayanpur		3000.000	2040.740	0.000	0.000	2040.740	261.00	**Adv.**	M/s Tulsidas Bhagwandas	07/03/2006	532633.14	524266.11
Narayanpur	11	S.Narayanpur		3000.000	2742.520	0.000	0.000	2742.520	254.00	**Adv.**	M/s Tulsidas Bhagwandas	07/03/2006	696600.08	704553.39
E.Bhanupratappur	12	Bhanupratappur		2000.000	3790.250	0.000	0.000	3790.250	285.00	**Adv.**	M/s Ashok Trading Company	07/03/2006	1080221.25	973715.23
E.Bhanupratappur	13	Antagarh	2	3000.000	1218.370	0.000	0.000	1218.370	267.00	Gdn.	M/s Pravinchandra Shantilal & Co.	05/09/2006	325304.79	377694.70
E.Bhanupratappur	13	Antagarh	3	0.000	1029.190	0.000	0.000	1029.190	251.00	Gdn.	M/s Pravinchandra Shantilal & Co.	27/10/2006	258326.69	319048.90
W.Bhanupratappur	14	E.Kapsi	4	1000.000	455.500	0.000	0.000	455.500	255.00	Gdn.	M/s Radhakishan Satyanarayan Rathi	05/09/2006	116152.50	141205.00
W.Bhanupratappur	15	W.Kapsi	4	1000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	Gdn.			0.00	0.00
W.Bhanupratappur	14	E.Kapsi	4		0.000	76.350	0.000	190.875	0.00	Gdn.	Govt. Ayurvedic Pharmacy, Raipur		122160.00	59171.25
Jagdalpur	16	Bastar		2000.000	1154.580	0.000	0.000	1154.580	263.00	**Adv.**	Mr. V.Irshad Ahmed	07/03/2006	303654.54	296611.60
Sukma	17	Sukma		200.000	Nil	Nil	Nil	Nil	0.00	**Adv.**	Mr. Gajendra Singh Chowhan	23/11/2005	0.00	0.00
Dantewada	18	Dantewada	5	300.000	200.270	0.000	0.000	200.270	0.00	Gdn.			0.00	62083.70
Bijapur	19	Bijapur		100.000	Nil	Nil	Nil	Nil	0.00	Gdn.			---	---
Raipur	20	Raipur		100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	257.00	**Adv.**	M/s Meman Traders	07/07/2005	25700.00	25690.00
Mahasamund	21	Mahasamund		1000.000	688.000	16.650	0.000	729.625	304.00	**Adv.**	M/s Atul Kumar Rasiklal & Co.	07/07/2005	221806.00	187440.66
Dhamtari	22	Dhamtari		1500.000	1752.570	834.850	10.050	3899.995	257.00	**Adv.**	M/s Tulsidas Bhagwandas	07/07/2005	1002298.72	1001908.72
E.Raipur	23	E.Raipur		1000.000	101.300	0.000	0.000	101.300	271.00	**Adv.**	M/s Mina Herbs	16/05/2006	27452.30	26023.97
Udanti	24	Udanti		1000.000	Nil	Nil	Nil	Nil	277.00	**Adv.**	M/s Mina Herbs	16/05/2006	---	---
Durg	25	Durg		400.000	400.000	0.000	0.000	400.000	257.00	**Adv.**	M/s Meman Traders	07/07/2005	102800.00	102760.00
Kawardha	26	Kawardha		800.000	Nil	Nil	Nil	Nil	0.00	Gdn.			---	---
Khairagarh	27	Khairagarh		400.000	Nil	Nil	Nil	Nil	0.00	Gdn.			---	---
Rajnandgaon	28	Rajnandgaon		3500.000	1671.950	0.000	0.000	1671.950	267.00	**Adv.**	M/s Mina Herbs	16/05/2006	446410.65	429523.96
Bilaspur			7	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.00	Gdn.			0.00	1240.00
Marwahi	29	Marwahi		430.000	0.000	167.324	1.945	429.980	256.00	**Adv.**	M/s Bahubali Udyog	23/11/2005	110074.88	110461.86
Korba	30	Korba		300.000	Nil	Nil	Nil	Nil	256.00	**Adv.**	M/s Bahubali Udyog	23/11/2005	---	---
Karghora	31	Katghora		250.000	0.000	139.600	0.000	349.000	256.00	**Adv.**	M/s Bahubali Udyog	23/11/2005	89344.00	89658.10
Raigarh	32	Raigarh		250.000	Nil	Nil	Nil	Nil	0.00	Gdn.			---	---
Dharamjaigarh	33	Dharamjaigarh	6	1000.000	206.550	116.930	0.000	498.875	0.00	Gdn.			0.00	154651.25
E.Sarguja	34	E.Sarguja		500.000	Nil	Nil	Nil	Nil	0.00	Gdn.			---	---
N.Sarguja	35	N.Sarguja	8	500.000	162.000	142.000	0.000	517.000	0.00	Gdn.			0.00	160270.00
S.Sarguja	36	S.Sarguja	9	400.000	222.270	9.990	0.000	247.245	275.00	Gdn.	Mr. Neeraj Kumar Agrawal	05/09/2006	67992.38	76645.95
Manendragarh	37	Manendragarh	10	2000.000	193.920	191.630	0.000	672.995	272.00	Gdn.	M/s Ashok Trading Co.	05/09/2006	183054.64	208628.45
Korea	38	Korea	11	400.000	50.000	115.000	0.000	337.500	0.00	Gdn.			0.00	104625.00
Jashpurnagar	39	Jashpur	12	500.000	475.740	0.000	0.000	475.740	255.00	Gdn.	Mr. Rajesh Kumar Agrawal	27/10/2006	121313.70	147479.40
				57830.000	**38233.620**	**2324.464**	**11.995**	**44116.750**					**11477208.62**	**11650707.87**

Total Quantity of Harra 44116.750
Sold Harra 42559.105
Unsold Harra 1557.645

Total Sale Value w.r.t. Coll. Quantity 11477208.62
Sale Rate per quintal 269.68
Total Expenditure @ 256.90/- and @ 310/-per quintal 11650707.87
Net Profit -173499.25
Net Profit per quintal -4.08
Collection wages @ 250/- per Quintal 11029187.50

परिशिष्ट - च

DISPOSAL OF HARRA COLLECTION SEASON 2006-2007

Date : 10.08.2015

District Union	Unit No.	Unit Name	Lot No.	Estimated Quantity (In Qntls.)	Collected Quantity			Sold Rate		Name of the Purchaser	Tender Date	Sale Price w.r.t. Estimated Qty.	Expenditure w.r.t. Estimated Qty.
					Harra (In Qntls.)	Kacharia (In Qntls.)	Bal Harra (In Qntls.)						
Kanker	1	Kanker		4000.000	0.000	0.000	0.000	308.00	Adv.	M/s Radhakishan Satyanarayan Rathi	18/05/2006	1232000.00	1027600.00
Kanker	2	Narharpur		4000.000	0.000	0.000	0.000	296.00	Adv.	M/s Ashok Trading Co.	18/05/2006	1184000.00	1027600.00
Kanker	3	Sarona		1000.000	0.000	0.000	0.000	302.00	Adv.	M/s Radhakishan Satyanarayan Rathi	18/05/2006	302000.00	256900.00
Kanker	4	Korar		3000.000	0.000	0.000	0.000	286.00	Adv.	M/s Doshi Enterprises	18/05/2006	858000.00	770700.00
Kanker	5	Charama		2500.000	0.000	0.000	0.000	291.00	Adv.	M/s Tulsidas Bhagwandas	18/05/2006	727500.00	642250.00
N.Kondagaon	6	Pharasgaon		1500.000	0.000	0.000	0.000	277.00	Adv.	M/s Mina Herbs	20/02/2007	415500.00	385350.00
N.Kondagaon	7	Keshkal		3000.000	0.000	0.000	0.000	285.00	Adv.	M/s Doshi Enterprises	05/07/2006	855000.00	770700.00
S.Kondagaon	8	E. Kondagaon		3700.000	0.000	0.000	0.000	268.00	Adv.	M/s Pravinchandra Shantilal & Co.	05/07/2006	991600.00	950530.00
S.Kondagaon	9	W.Kondagaon		800.000	0.000	0.000	0.000	255.00	Adv.	M/s Pravinchandra Shantilal & Co.	27/10/2006	204000.00	205520.00
Narayanpur	10	N.Narayanpur		2000.000	0.000	0.000	0.000	255.00	Adv.	M/s Pravinchandra Shantilal & Co.	20/02/2007	510000.00	513800.00
Narayanpur	11	S.Narayanpur		2500.000	0.000	0.000	0.000	256.00	Adv.	M/s Ashok Trading Co.	20/02/2007	640000.00	642250.00
E.Bhanupratappur	12	Bhanupratappur		3000.000	0.000	0.000	0.000	277.00	Adv.	M/s Tulsidas Bhagwandas	05/07/2006	831000.00	770700.00
E.Bhanupratappur	13	Antagarh		2000.000	0.000	0.000	0.000	281.00	Adv.	M/s Ashok Trading Co.	27/02/2007	562000.00	513800.00
W.Bhanupratappur	14	E.Kapsi		1000.000	0.000	0.000	0.000	258.00	Adv.	M/s Pravinchandra Shantilal & Co.	20/02/2007	258000.00	256900.00
W.Bhanupratappur	15	W.Kapsi		1000.000	0.000	0.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Jagdalpur	16	Bastar		2500.000	0.000	0.000	0.000	255.00	Adv.	M/s Pravinchandra Shantilal & Co.	20/02/2007	637500.00	642250.00
Sukma	17	Sukma		200.000	0.000	0.000	0.000	255.00	Adv.	M/s Ratan Traders	27/10/2006	51000.00	51380.00
Dantewada	18	Dantewada		300.000	0.000	0.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Bijapur	19	Bijapur		100.000	0.000	0.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Raipur	20	Raipur		100.000	0.000	0.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Mahasamund	21	Mahasamund		1000.000	0.000	0.000	0.000	284.00	Adv.	M/s Ramphal Dineshkumar	05/07/2006	284000.00	256900.00
Dhamtari	22	Dhamtari		3750.000	0.000	0.000	0.000	286.00	Adv.	M/s Tulsidas Bhagwandas	18/05/2006	1072500.00	963375.00
E.Raipur	23	E.Raipur		800.000	0.000	0.000	0.000	263.00	Adv.	M/s Mina Herbs	20/02/2007	210400.00	205520.00
Udanti	24	Udanti		1000.000	0.000	0.000	0.000	256.00	Adv.	M/s Pravinchandra Shantilal & Co.	20/02/2007	256000.00	256900.00
Durg	25	Durg		500.000	0.000	0.000	0.000	291.00	Adv.	M/s Doshi Enterprises	18/05/2006	145500.00	128450.00
Kawardha	26	Kawardha		100.000	0.000	0.000	0.000	266.00	Adv.	M/s Doshi Enterprises	27/02/2007	26600.00	25690.00
Khairagarh	27	Khairagarh		50.000	0.000	0.000	0.000	291.00	Adv.	M/s Doshi Enterprises	05/07/2006	14550.00	12845.00
Rajnandgaon	28	Rajnandgaon		1500.000	0.000	0.000	0.000	255.00	Adv.	M/s Pravinchandra Shantilal & Co.	20/02/2007	382500.00	385350.00
Marwahi	29	Marwahi		250.000	0.000	0.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Korba	30	Korba		200.000	0.000	0.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Karghora	31	Katghora		350.000	0.000	0.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Raigarh	32	Raigarh		300.000	0.000	0.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Dharamjaigarh	33	Dharamjaigarh		500.000	0.000	0.000	0.000	261.00	Adv.	Mr. Rajesh Kumar Agrawal	05/09/2006	130500.00	128450.00
E.Sarguja	34	E.Sarguja		300.000	0.000	0.000	0.000	0.00				0.00	0.00
N.Sarguja	35	N.Sarguja		100.000	0.000	0.000	0.000	0.00				0.00	0.00
S.Sarguja	36	S.Sarguja		300.000	0.000	0.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Manendragarh	37	Manendragarh		800.000	0.000	0.000	0.000	268.00	Adv.	Mr. Neeraj Kumar Agrawal	05/09/2006	214400.00	205520.00
Korea	38	Korea		400.000	0.000	0.000	0.000	0.00				0.00	0.00
Jashpurnagar	39	Jashpur		600.000	0.000	0.000	0.000	0.00				0.00	0.00
				51000.000	**0.000**	**0.000**	**0.000**					**12996050.00**	**11997230.00**

Estimated Quantity of Harra	**51000.000**
Sold Harra	**46700.000**
Unsold Harra	**4300.000**

Total Sale Value w.r.t. Coll. Quantity	**12996050.00**
Sale Rate per quintal	**278.29**
Total Expenditure @ 256.90/- and @ 310/- per quintal	**11997230.00**
Net Profit	**998820.00**
Net Profit per quintal	**21.39**
Collection wages @ 250/- per Quintal	**12750000.00**

DISPOSAL OF KULLU GUM COLLECTION SEASON 2005-2006 (IN ADVANCE)

Date : 10.08.2015

Unit No.	Unit Name	Estimated Quantity (In Qntls.)	Quantity Collected (In Qntls.)			Sold Rate	Name of the Purchaser	Tender Date	Sale Price w.r.t. Collected	Expenditure
			Grade-I	Grade-II	Total					
1	W. Bhanupratappur	20.000	35.000	0.000	35.000	12150.00	M/s Ratan Traders	07/07/2005	425250.00	334600.00
2	Narayanpur	20.000	0.000	0.000	0.000	12500.00	M/s Santosh Gums	07/07/2005	0.00	0.00
3	Sukma	250.000	130.535	13.810	144.345	9991.00	M/s Hukumchand Kaluram Gupta	26/05/2005	1442150.90	1337127.20
4	Bijapur	300.000	249.790	25.360	275.150	9991.00	M/s Hukumchand Kaluram Gupta	26/05/2005	2749023.65	2551818.00
5	Dantewada	250.000	210.000	12.300	222.300	9991.00	M/s Hukumchand Kaluram Gupta	26/05/2005	2220999.30	2087058.00
		840.000	**625.325**	**51.470**	**676.795**				**6837423.85**	**6310603.20**

Collected Quantity of Gums	**676.795**
Sold Gums	**676.795**
Unsold Gums	**0.000**

Total Sale Value w.r.t. Collected Quantity	**6837423.85**
Sale Rate per quintal	**10102.65**
Total Expenditure @ 9560/- and 6460/- per quintal	**6310603.20**
Net Profit	**526820.65**
Net Profit per quintal	**778.41**
Collection wages @ 9500/- and 6400/- per quintal	**6269995.50**

गोद वर्ग - 1

परिशिष्ट - ज

DISPOSAL OF KULLU GUM COLLECTION SEASON 2006-2007

Date : 10.08.2015

Unit No.	Unit Name	Estimated Quantity (In Qntls.)	Collected Quantity Kullu Gum (In Qntls.)	Sold Rate		Name of the Purchaser	Tender Date	Sale Price w.r.t. Estimated Quantity	Expenditure w.r.t. Estimated Quantity
1	W. Bhanupratappur	30.000	0.000	15100.00	**Adv.**	M/s Hukumchand Kaluram Gupta	05/09/2006	453000.00	421800.00
2	Narayanpur	50.000	0.000	15100.00	**Adv.**	M/s Hukumchand Kaluram Gupta	05/09/2006	755000.00	703000.00
3	Sukma	250.000	0.000	15000.00	**Adv.**	M/s Hukumchand Kaluram Gupta	18/05/2006	3750000.00	3515000.00
4	Bijapur	250.000	0.000	15000.00	**Adv.**	M/s Hukumchand Kaluram Gupta	18/05/2006	3750000.00	3515000.00
5	Dantewada	100.000	0.000	15000.00	**Adv.**	M/s Hukumchand Kaluram Gupta	18/05/2006	1500000.00	1406000.00
		680.000	**0.000**					**10208000.00**	**9560800.00**

stimated Quantity of Gums	**680.000**
Sold Gums	**680.000**
Unsold Gums	**0.000**

Total Sale Value w.r.t. Collected Quantity	**10208000.00**
Sale Rate per quintal	**15011.76**
Total Expenditure @ 14060/- and 10060/- per quinta	**9560800.00**
Net Profit	**647200.00**
Net Profit per quintal	**951.76**
Collection wages @ 14000/- and 10000/- per quintal	**9520000.00**

DISPOSAL OF DHAWDA, KHAIR & BABOOL GUM COLLECTION SEASON 2005-2006

Date : 10.08.2015

Unit No.	Unit Name	Lot No.	Estimated Quantity (In Qntls.)	Collected Quantity			Sold Rate		Name of the Purchaser	Tender Date	Sale Price w.r.t. Estimated Quantity	Expenditure
				Dhawda (In Qntls.)	Khair/Babool (In Qntls.)	Total Gums (Dhawda) (In Qntls.)						
1	Sarguja		25.000	Nil	Nil	Nil						
2	Korea		10.000	Nil	Nil	Nil						
3	Raigarh		100.000	0.000	50.000	30.000	2700.00	Adv.	M/s R.S.Food Processes (I) Pvt. Ltd.	07/07/2005	81000.00	78000.00
4	Dharamjaigarh		50.000	Nil	Nil	Nil						
5	Pendra		275.000	Nil	Nil	Nil						
6	Dhamtari		125.000	Nil	Nil	Nil	2700.00	Adv.	M/s Tulsidas Bhagwandas	07/07/2005		
7	Mahasamund		350.000	Nil	Nil	Nil						
8	Raipur		170.000	Nil	Nil	Nil	3096.00	Adv.	M/s R.S.Food Processes (I) Pvt. Ltd.	26/05/2005		
9	E.Raipur		50.000	Nil	Nil	Nil	2592.00	Adv.	M/s Tulsidas Bhagwandas	07/07/2005		
10	Udanti		20.000	Nil	Nil	Nil						
11	Durg		500.000	0.000	15.000	9.000	3096.00	Adv.	M/s R.S.Food Processes (I) Pvt. Ltd.	26/05/2005	27864.00	23400.00
12	Kawardha		50.000	Nil	Nil	Nil	2660.00	Adv.	M/s Bahubali Udyog	05/10/2005		
13	Khairagarh		50.000	Nil	Nil	Nil	3096.00	Adv.	M/s R.S.Food Processes (I) Pvt. Ltd.	26/05/2005		
14	Rajnandgaon		100.000	Nil	Nil	Nil	3096.00	Adv.	M/s R.S.Food Processes (I) Pvt. Ltd.	26/05/2005		
15	W.Bhanupratappur		300.000	0.000	10.500	6.300	4411.00	Adv.	M/s Ratan Traders	07/07/2005	27789.30	16380.00
16	Narayanpur		50.000	20.000	0.000	20.000	2851.00	Adv.	M/s Ratan Traders	05/10/2005	57020.00	51200.00
17	Jagdalpur		10.000	Nil	Nil	Nil	3571.00	Adv.	M/s Santosh Gums	26/05/2005		
18	Bijapur		65.000	Nil	Nil	Nil	4000.00	Adv.	M/s Hukumchand Kaluram Gupta	26/05/2005		
19	Sukma		125.000	Nil	Nil	Nil	4000.00	Adv.	M/s Hukumchand Kaluram Gupta	26/05/2005		
20	Bilaspur		50.000	0.000	50.000	30.000	2700.00	Adv.	M/s Bahubali Udyog	05/10/2005	81000.00	78000.00
21	Janjgir-Champa		50.000	Nil	Nil	Nil	2610.00	Adv.	M/s Vishnu Trading Company	07/07/2005		0.00
			2525.000	**20.000**	**125.500**	**95.300**					**274673.30**	**246980.00**

	Dhawda	Khair/Babool	
Collected Quantity of Gums	**20.000**	**125.500**	**95.300**
Sold Gums	**20.000**	**125.500**	**95.300**
Unsold Gums	**0.000**	**0.000**	**0.000**

Total Sale Value w.r.t. Collected Quantity	**274673.30**
Sale Rate per quintal	**2882.20**
Total Expenditure @ 2560/-,1560/-,2594/- and 1594/- per quintal	**246980.00**
Net Profit	**27693.30**
Net Profit per quintal	**290.59**
Collection Wages @ 2500/- and 1500/-per quintal	**238250.00**

DISPOSAL OF DHAWDA, KHAIR & BABOOL GUM COLLECTION SEASON 2006-2007

Date : 10.08.2015

Unit No.	Unit Name	Estimated Quantity (In Qntls.)	Collected Quantity Dhawda Gum (In Qntls.)	Sold Rate		Name of the Purchaser	Tender Date	Sale Price w.r.t. Estimated Quantity	Expenditure w.r.t. Estimated Quantity
1	Sarguja	25.000						0.00	0.00
2	Korea	10.000						0.00	0.00
3	Raigarh	50.000		2700.00	**Adv.**	M/s R.S. Food Processes (I) Pvt. Ltd.	05/07/2006	135000.00	128000.00
4	Dharamjaigarh	50.000						0.00	0.00
5	Pendra	25.000						0.00	0.00
6	Dhamtari	125.000						0.00	0.00
7	Mahasamund	350.000						0.00	0.00
8	Raipur	50.000		3786.00	**Adv.**	M/s H.M.R. Herbs	18/05/2006	189300.00	128000.00
9	E.Raipur	50.000						0.00	0.00
10	Udanti	20.000						0.00	0.00
11	Durg	100.000		4000.00	**Adv.**	M/s R.S. Food Processes (I) Pvt. Ltd.	18/05/2006	400000.00	256000.00
12	Kawardha	20.000						0.00	0.00
13	Khairagarh	25.000		4000.00	**Adv.**	M/s R.S. Food Processes (I) Pvt. Ltd.	18/05/2006	100000.00	64000.00
14	Rajnandgaon	150.000		3000.00	**Adv.**	M/s R.S. Food Processes (I) Pvt. Ltd.	05/07/2006	450000.00	384000.00
15	W.Bhanupratappur	300.000		2700.00	**Adv.**	M/s Ratan Traders	27/10/2006	810000.00	768000.00
16	Narayanpur	50.000		2700.00	**Adv.**	M/s Ratan Traders	27/10/2006	135000.00	128000.00
17	Jagdalpur	10.000		3550.00	**Adv.**	M/s Ratan Traders	18/05/2006	35500.00	25600.00
18	Bijapur	50.000		5000.00	**Adv.**	M/s Hukumchand Kaluram Gupta	18/05/2006	250000.00	128000.00
19	Sukma	100.000		2700.00	**Adv.**	M/s Ratan Traders	27/10/2006	270000.00	256000.00
20	Bilaspur	50.000						0.00	0.00
21	Janjgir-Champa	50.000		2700.00	**Adv.**	M/s Vishnu Trading Co.	05/07/2006	135000.00	128000.00
		1660.000	**0.000**					**2909800.00**	**2393600.00**

Estimated Quantity of Gums	**1660.000**
Sold Gums	**935.000**
Unsold Gums	**725.000**

Total Sale Value w.r.t. Collected Quantity	**2909800.00**
Sale Rate per quintal	**3112.09**
Total Expenditure @ 2560/- and 1560/- per qu	**2393600.00**
Net Profit	**516200.00**
Net Profit per quintal	**552.09**
Collection wages @ 2500/- and 1500/- per qui	**4150000.00**

संग्रहण वर्ष 2004 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

(राशि रू.लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	कुल समितियों की संख्या	लाभ में रही कुल समितियों की संख्या	जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 70)	जिला यूनियन द्वारा वितरण की गई राशि	वितरण हेतु शेष राशि (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तर सरगुजा	35	9	54.29	54.29	0.00
2	पूर्वी सरगुजा	26	7	12.74	12.74	0.00
3	मनेन्द्रगढ़	15	9	46.91	46.91	0.00
4	कोरिया	17	15	64.52	64.52	0.00
5	दक्षिण सरगुजा	30	7	17.15	17.15	0.00
6	जशपुरनगर	25	9	25.19	25.19	0.00
योग सरगुजा वृत्त		**148**	**56**	**220.80**	**220.80**	**0.00**
7	धरमजयगढ़	59	52	217.46	217.46	0.00
8	रायगढ़	54	40	93.10	93.10	0.00
9	मरवाही	32	11	42.86	42.86	0.00
10	कटघोरा	44	34	219.72	219.72	0.00
11	कोरबा	38	33	177.90	177.90	0.00
12	जांजगीर-चांपा	7	0	0.00	0.00	0.00
13	बिलासपुर	8	3	7.04	7.04	0.00
योग बिलासपुर वृत्त		**242**	**173**	**758.08**	**758.08**	**0.00**
14	महासमुन्द	75	54	158.70	158.70	0.00
15	रायपुर	25	17	72.55	72.55	0.00
16	धमतरी	27	27	130.60	130.60	0.00
17	पूर्व रायपुर	48	47	219.35	219.35	0.00
18	उदन्ती	23	20	75.72	75.72	0.00
योग रायपुर वृत्त		**198**	**165**	**656.92**	**656.92**	**0.00**
19	कांकेर	21	15	91.48	91.48	0.00
20	उत्तर कोण्डागांव	16	12	39.74	39.74	0.00
21	दक्षिण कोण्डागांव	13	12	27.87	27.87	0.00
22	नारायणपुर	8	4	25.55	25.55	0.00
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	41	25	177.62	177.62	0.00
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	41	5	8.28	8.28	0.00
योग कांकेर वृत्त		**140**	**73**	**370.54**	**370.54**	**0.00**
25	सुकमा	25	12	117.93	107.03	10.90
26	बीजापुर	28	25	185.16	155.61	29.55
27	जगदलपुर	15	13	23.47	23.47	0.00
28	दंतेवाड़ा	11	3	19.07	19.07	0.00
योग जगदलपुर वृत्त		**79**	**53**	**345.63**	**305.18**	**40.45**
29	दुर्ग	17	11	50.06	50.06	0.00
30	कवर्धा	19	9	32.53	32.53	0.00
31	राजनांदगांव	50	15	64.12	64.12	0.00
32	खैरागढ़	20	10	37.95	37.95	0.00
योग दुर्ग वृत्त		**106**	**45**	**184.66**	**184.66**	0.00
योग		**913**	**565**	**2536.63**	**2496.18**	**40.45**

परिशिष्ट - ढ

संग्रहण वर्ष 2005 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

(रूपये लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	कुल समितियों की संख्या	जिला यूनियन अनुसार लाभ में रही कुल समितियों की संख्या	जिला यूनियन गणनानुसार (शुद्ध लाभ 100 प्रतिशत)	प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 70 प्रतिशत)
1	उत्तर सरगुजा *	35	11	66.11	46.28
2	पूर्वी सरगुजा	26	5	8.99	6.29
3	मनेन्द्रगढ़	15	13	112.37	78.66
4	कोरिया	17	13	68.09	47.67
5	दक्षिण सरगुजा	30	9	37.97	26.58
6	जशपुरनगर	25	9	30.29	21.21
7	धरमजयगढ़	59	53	324.05	226.83
8	रायगढ़	54	42	121.65	85.16
9	मरवाही	32	12	48.78	34.15
10	कटघोरा	44	37	227.14	159.00
11	कोरबा	38	32	228.16	159.71
12	जांजगीर -चांपा	7	0	0.00	0.00
13	बिलासपुर	8	3	13.71	9.60
14	महासमुन्द	75	57	228.62	160.03
15	रायपुर	25	16	83.46	58.42
16	धमतरी	27	26	146.41	102.48
17	पूर्व रायपुर	48	48	338.10	236.67
18	उदन्ती	23	22	108.06	75.64
19	कांकेर	21	19	150.61	105.43
20	उत्तर कोण्डागांव	16	9	35.27	24.69
21	दक्षिण कोण्डागांव	13	12	50.58	35.40
22	नारायणपुर	8	5	46.02	32.21
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	41	41	444.41	311.08
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	41	16	137.86	96.50
25	सुकमा	25	1	0.00	0.00
26	बीजापुर	28	5	31.76	22.23
27	जगदलपुर	15	7	16.43	11.50
28	दंतेवाड़ा	11	0	0.00	0.00
29	दुर्ग	17	12	73.48	51.44
30	कवर्धा	19	14	75.92	53.14
31	राजनांदगांव	50	35	190.35	133.24
32	खैरागढ़	20	12	68.33	47.83
योग		**913**	**596**	**3512.97**	**2459.07**

*** जिला यनियन उत्तर सरगजा से गणना पत्रक प्राप्त न होने के कारण संघ गणना पत्रक के आंकडे दर्शाये**

मूलभूत सुविधा सम्बंधी कार्यो की प्रगति

परिशिष्ट – ट

क.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 1999+2000		संग्रहण वर्ष 2001		संग्रहण वर्ष 2002		संग्रहण वर्ष 2003		संग्रहण वर्ष 2004		संग्रहण वर्ष 2005	
		मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध शुद्ध लाभ की 15% राशि (लाख में)	स्वीकृत राशि के विरूद्ध प्रदाय राशि (लाख में)	मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध शुद्ध लाभ की 15% राशि (लाख में)	स्वीकृत राशि के विरूद्ध प्रदाय राशि (लाख में)	मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध शुद्ध लाभ की 15% राशि (लाख में)	स्वीकृत राशि के विरूद्ध प्रदाय राशि (लाख में)	मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध शुद्ध लाभ की 15% राशि (लाख में)	स्वीकृत राशि के विरूद्ध प्रदाय राशि (लाख में)	मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध शुद्ध लाभ की 15% राशि (लाख में)	स्वीकृत राशि के विरूद्ध प्रदाय राशि (लाख में)	मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध शुद्ध लाभ की 15% राशि (लाख में)	स्वीकृत राशि के विरूद्ध प्रदाय राशि (लाख में)
1	उत्तर सरगुजा	71.35	68.93	7.66	7.92	10.76	17.70	6.51	1.63	12.75	3.19	9.92	2.48
2	पूर्व सरगुजा	7.59	5.49	2.93	2.50	2.14	1.50	1.30	0.33	2.86	0.71	1.35	0.38
3	मनेन्द्रगढ़	30.19	30.21	16.49	16.48	22.99	23.29	14.56	3.64	10.35	2.59	16.86	5.12
4	कोरिया	39.86	11.42	10.08	2.52	11.81	0.00	16.77	4.19	13.81	3.45	10.21	2.55
5	दक्षिण सरगुजा	10.55	5.64	0.80	0.20	0.00	0.00	0.20	0.05	5.08	1.27	4.93	1.49
6	जशपुरनगर	4.19	4.19	5.28	5.28	2.54	2.54	3.18	1.79	5.53	1.38	4.54	1.25
7	धर्मजयगढ़	81.10	77.65	39.40	35.80	50.39	48.13	43.21	10.80	47.15	11.79	48.61	12.12
8	रायगढ़	77.04	77.01	14.65	14.81	24.94	25.95	17.05	4.26	20.44	5.11	18.25	4.79
9	मरवाही	30.19	19.83	7.95	6.81	8.58	9.14	4.10	1.02	9.67	2.42	7.32	2.01
10	कटघोरा	113.48	112.50	45.35	43.50	22.42	20.12	20.43	10.33	47.47	25.14	34.07	8.60
11	कोरबा	56.41	59.38	31.92	21.43	47.09	38.45	40.24	10.06	38.12	9.53	34.22	8.54
12	जांजगीर–चांपा	2.16	2.19	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	बिलासपुर	3.98	4.47	2.60	2.64	0.91	0.97	0.62	0.15	1.47	0.37	2.06	0.51
14	महासमुन्द	95.59	95.90	35.18	34.80	49.61	49.60	18.37	4.59	35.92	8.98	34.29	8.96
15	रायपुर	34.09	30.24	43.48	11.14	18.80	12.51	7.87	1.97	16.22	6.02	12.52	3.12
16	धमतरी	40.59	41.08	20.22	22.05	30.84	24.64	27.47	6.87	28.03	7.01	21.96	5.49
17	पूर्व रायपुर	113.40	113.63	51.57	48.09	66.53	67.66	48.96	36.30	48.77	22.34	50.71	12.79
18	उदन्ती	10.33	10.29	8.15	4.99	12.22	8.20	14.73	3.68	16.95	4.24	15.65	4.08
19	कांकेर	44.29	44.72	29.97	26.25	31.38	27.84	32.21	8.05	19.59	4.90	22.59	5.79
20	उ. कोण्डागांव	16.87	15.91	9.56	8.47	8.98	8.60	10.73	2.68	8.61	2.15	5.29	1.37
21	द. कोण्डागांव	18.92	16.69	7.09	6.12	9.49	7.95	9.04	2.26	5.93	1.48	7.59	1.91
22	नारायणपुर	4.92	5.82	2.32	2.07	4.70	4.69	5.94	1.48	5.47	1.37	6.90	1.73
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	8.48	8.43	60.61	44.74	85.37	54.82	86.85	21.71	38.75	9.69	66.66	17.37
24	प. भानुप्रतापपुर	10.18	10.29	19.63	19.91	36.20	33.50	32.25	8.06	1.99	0.50	20.68	5.17
25	सुकमा	34.09	32.51	45.33	36.37	85.74	64.41	96.08	24.02	26.07	6.52	0.00	0.00
26	बीजापुर	54.97	15.13	54.97	34.21	87.91	38.00	47.50	11.87	39.91	9.98	4.76	1.18
27	जगदलपुर	15.67	16.97	7.09	6.47	3.46	4.75	4.73	1.18	6.46	1.62	2.46	0.75
28	दन्तेवाड़ा	6.69	6.66	10.18	4.73	15.59	12.42	25.61	6.40	4.23	1.06	0.00	0.00
29	दुर्ग	17.31	17.88	11.33	8.63	19.42	18.35	6.16	1.54	11.37	2.84	11.02	2.81
30	कवर्धा	23.85	23.84	14.55	10.69	8.16	6.04	4.71	1.18	7.09	1.77	11.39	2.83
31	राजनांदगांव	44.00	43.27	36.73	35.93	68.61	66.28	56.36	14.09	13.97	3.49	27.73	7.54
32	खैरागढ़	36.02	34.51	15.55	14.39	11.45	9.40	6.67	1.67	8.36	2.09	10.25	2.61
	योग	**1158.36**	**1062.67**	**668.68**	**539.94**	**859.04**	**707.46**	**710.40**	**207.89**	**558.38**	**164.98**	524.80	135.34

परिशिष्ट–ठ

वर्ष 2006 में चरणपादुका वितरण की जानकारी

अ.क्रं.	जिला यूनियन का नाम	कुल संग्राहकों की संख्या	जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई गई चरणपादुका की संख्या	वितरित चरणपादुकाओं की संख्या	
1	2	3	4	5	
1	कोरिया	25,856	25,536	25,856	
2	मनेन्द्रगढ़	23,122	23,483	23,122	
3	जशपुरनगर	52,938	52,947	52,938	
4	उत्तर सरगुजा	61,379	59,850	61,379	
5	दक्षिण सरगुजा	58,758	45,522	58,758	
6	पूर्व सरगुजा	57,232	83,736	57,232	
7	बिलासपुर	8,577	8,577	8,577	
8	मरवाही	39,814	39,790	39,814	
9	कटघोरा	58,611	59,628	58,611	
10	कोरबा	35,325	35,325	35,325	
11	जांजगीर–चांपा	9,210	9,210	9,210	
12	रायगढ़	53,535	53,535	53,535	
13	धरमजयगढ़	45,265	45,781	45,265	
14	रायपुर	21,971	22,144	22,171	*
15	पूर्व रायपुर	38,397	38,376	38,397	
16	उदन्ती	24,699	24,693	24,699	
17	धमतरी	29,385	27,729	29,385	
18	महासमुंद	95,491	95,385	95,491	
19	दुर्ग	26,448	25,847	26,448	
20	राजनांदगॉव	52,013	51,964	52,013	
21	खैरागढ़	21,936	21,936	21,936	
22	कवर्धा	30,209	30,158	30,209	
23	कांकेर	37,723	35,525	37,723	
24	पूर्व भानुप्रतापपुर	33,490	35,619	33,490	
25	पश्चिम भानुप्रतापपुर	27,715	27,682	27,715	
26	नारायणपुर	21,549	21,549	21,549	
27	दक्षिण कोंडागॉव	42,418	43,055	42,418	
28	उत्तर कोंडागॉव	38,896	38,280	38,896	
29	बस्तर (जगदलपुर)	55,318	55,320	55,318	
30	दंतेवाड़ा	29,383	29,356	29,383	
31	बीजापुर	40,638	40,908	40,638	
32	सुकमा	54,930	55,058	43,601	
	योगः–	**12,52,231**	**12,63,504**	**12,41,102**	

* 200 जोड़ी चरणपादुकाओं का उपयोग माननीय विधान सभा सदस्यों एवं अधिकारियों को वितरण के रूप में किया गया ।

विषय क्रमांक - 4

विषयः- वित्तीय वर्ष 2007-08 के क्रियाकलापो के कार्यक्रम का अनुमोदन ।

(i) तेन्दूपत्ते का व्यापार

वर्ष 2007 तेंदू पत्ता सीजन में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते के अग्रिम विक्रय हेतु 897 प्राथमिक सहकारी समितियों के तेंदू पत्ते के कुल 929 लाट बनाये गये । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार वर्ष 2005 व 2006 की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों से तेन्दूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपज संग्रहण नहीं किया जाना है, अतः इन क्षेत्रों में वर्ष 2007 में उत्पादित होने वाले तेन्दूपत्ते को विक्रय हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2007 में लगभग 17.95 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । संग्रहण वर्ष 2007 में तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 500/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई । अभी तक विभिन्न निविदाओं में अग्रिम नियुक्त क्रेताओं को समस्त 17.95 लाख मानक बोरा रू. 340.51 करोड़ में विक्रय किया गया है एवं औसत दर रू. 1897/- प्रति मानक बोरा है । अग्रिम में विक्रित तेन्दूपत्ते से वित्तीय वर्ष 2007-2008 में राशि रु. 306. 46 करोड़ प्राप्त होंगे । इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में कुल रू. 89.77 करोड़ की मजदूरी के वितरण का अनुमान है । तेंदूपत्ता संग्रहण, उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण के विस्तृत निर्देश प्रमुख सचिव, वन छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ/2006/प्र.स./485 दिनांक 13.02.2007 से समस्त कलेक्टर तथा समस्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ को जारी किया जा चुके हैं । इस कार्य में सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाऐं ली जावेगी ।

प्रदेश में तेन्दूपत्ते की गुणवत्ता में सुधार एवं उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से शाखकर्तन का कार्य अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं द्वारा ही किया जाता हैं । वर्ष 2004 से लागू नवीन तेन्दूपत्ता नीति के अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेन्दूपत्ते का संग्रहण एवं संग्राहकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना है । समितियों द्वारा संग्रहित किये गये तेन्दूपत्ते को अग्रिम में नियुक्त क्रेता को फड़ पर ही सौंप दिया जावेगा, इसके उपरांत तेन्दूपत्ते का उपचारण, परिवहन एवं भंडारण उक्त क्रेता द्वारा ही किया जावेगा । अग्रिम में अविक्रित लाटों में तेन्दूपत्ता का संग्रहण उपरांत उपचारण, परिवहन एवं भंडारण आदि कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा किया जावेगा ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण में शासन के विभिन्न विभागों, प्राथमिक वनोपज समितियों, पंचों/सरपंचों, ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों के द्वारा सक्रिय भूमिका अदा की जाना है ताकि अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का पत्ता संग्रहित हो सके तथा संग्राहकों को सही समय से संग्रहण प्रारिश्रमिक प्राप्त हो सके ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 के अग्रिम निर्वतन की कार्यवाही भी माह दिसम्बर' 2007 से प्रारंभ किया जाना है ।

(ii) सालबीज का व्यापार

संग्रहण वर्ष 2007 के सालबीज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य भी वर्ष 2006 की भांति संघ द्वारा शासन की अभिकर्ता के रुप में किया जावेगा । वर्ष 2007 में 4 लाख क्विंटल सालबीज उत्पादित होने का अनुमान है ।

(iii) हर्रा का व्यापार

वानिकी वर्ष 2006-2007 में विभिन्न जिला यूनियनों में 39 हर्रा इकाईयों में लगभग 51000 क्विंटल हर्रा का उत्पादन होना संभावित है । इन इकाईयों के अग्रिम निर्वर्तन हेतु अभी 4 बार निविदायें तथा 1 बार ऑफर आमंत्रित की जा चुकी है, जिसमें से 26 इकाईयों की अनुमानित 46700 क्विंटल मात्रा का निर्वर्तन हो चुका है । अग्रिम में निर्वर्तित इकाईयों में किसी प्रकार का घाटा नहीं होता है तथा संग्राहकों को शासन द्वारा निर्धारित संग्रहण दर प्राप्त होती है । शेष अनिर्वर्तित इकाईयों/संग्रहित हर्रा, कचरिया के निर्वर्तन की कार्यवाही जारी है । वर्ष 2006-07 में हर्रा की संग्रहण दर रु. 250/- प्रति क्विंटल, कचरिया की रु. 625/- प्रति क्विंटल तथा बाल हर्रा की रू. 1500/- प्रति क्विंटल निर्धारित है । अग्रिम में नियुक्त क्रेता के द्वारा इस दर पर संग्रहण मजदूरी का भुगतान संग्राहकों को किया जा रहा है । अग्रिम में अनिर्वर्तित इकाईयों में इस दर पर संग्रहण मजदूरी का संग्राहकों को भुगतान प्राथमिक समितियों के द्वारा किया जा रहा है ।

हर्रा संग्रहण वर्ष 2007-08 में संग्रहित होने वाले हर्रा के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(iv) कुल्लू गोंद का व्यापार

वानिकी वर्ष 2006-2007 सीजन में कुल्लू गोंद, जिसका संभावित उत्पादन लगभग 680 क्विंटल है, का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया गया है । सभी 5 इकाईयों का निर्वतन किया जा चुका है । गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) की संग्रहण दर प्रथम श्रेणी के लिये रू. 14000/- प्रति क्विंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रू. 10000/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है । अग्रिम में नियुक्त क्रेता के द्वारा इस दर पर संग्रहण मजदूरी का भुगतान संग्राहकों को किया जा रहा है ।

गोंद वर्ग-1 की गुणवत्ता वृद्धि हेतु संग्राहकों एवं मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण विगत वर्ष की भांति जारी रहेगा ।

गोंद संग्रहण वर्ष 2007-08 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है । विगत वर्षों में सम्पूर्ण कुल्लू गोंद का अग्रिम निर्वतन होने से किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है तथा संग्राहकों को उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है ।

(v) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) का व्यापार

वानिकी वर्ष 2006-2007 सीजन में संभावित उत्पादन कुल 1660 क्विंटल है । विगत वर्ष अनुसार ही गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) की इकाईयों का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया जा रहा है । गोंद वर्ग-2 में से बबूल एवं खैर गोंद की संग्रहण दर रु. 1500/- प्रति क्विंटल एवं धावड़ा गोंद की संग्रहण दर रु. 2500/- प्रति क्विंटल निर्धारित है । इनमें से 11 इकाईयो की अधिसूचित मात्रा 935 क्विंटल का अग्रिम में निर्वर्तन हुआ है, जिनका विक्रय मूल्य रूपये 29.10 लाख है । शेष 10 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 725 क्विंटल के अग्रिम विक्रय की कार्यवाही की जा रही है । अनुमानित उत्पादन के अनुसार रु. 41.50 लाख की संग्रहण मजदूरी संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है ।

गोंद संग्रहण वर्ष 2007-08 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(vi) हैसियन बोरे की व्यवस्था

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2006 के अवशेष 1.88 लाख बोरों को वर्ष 2007 के तेन्दूपत्ते के अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं को परिदान करने के निर्देश दिये गये हैं ।

(vii) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा

वित्तीय वर्ष 2007-2008 से समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये वर्तमान योजना के स्थान पर तेन्दूपत्ता संग्राहकों के परिवार के मुखिया के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से ''जनश्री बीमा योजना'' दिनांक 01.04.2007 से लागू की जा रही है । जिसके तहत :-

(1) परिवार के मुखिया की साधारण मृत्यु होने पर रू. 20,000/- की बीमित राशि नामांकित व्यक्ति को देय होगी ।
(2) दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू. 50,000/- की बीमित राशि नामांकित व्यक्ति को देय होगी ।
(3) दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रू. 50,000/- तथा
(4) दुर्घटना में अर्द्ध-अपंगता पर रू. 25,000/- देय होगा ।

योजना के सदस्यों के बच्चें भी यदि 9 वीं से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं तो दो बच्चों के लिये रू. 300/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रतिमाह चार वर्षों तक दिये जाने का प्रावधान है ।

योजना अंतर्गत देय रू. 200/- प्रति सदस्य प्रीमियम की राशि में से रू. 100/- भारतीय जीवन बीमा निगम में उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा निधि से भुगतान किया जावेगा ।

(viii) वर्ष 2006 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2006 में तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत शुद्ध लाभ की राशि में से 70 प्रतिशत की राशि लगभग रु. 33.76 करोड़ तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किये जाने का अनुमान हैं ।

(ix) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । वर्ष 1999+2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एवं 2006 के व्यापार के लाभ की 15 प्रतिशत राशि के अवशेष कार्य कराये जावेंगे ।

(x) चरणपादुका का वितरण

गतवर्ष की भांति वर्ष 2007 में भी प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार को उनकी इच्छानुसार महिला या पुरूष सदस्य को एक-एक जोड़ी चरणपादुका प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु राज्य शासन से लघु वनोपज संघ को रूपये 13.00 करोड़ की राशि उपलब्ध करा दी गई है । चरणपादुका क्रय हेतु दिनांक 22.11.2006 को निविदाएँ आमंत्रित की गई थी तथा उसी दिन उपस्थित निविदाकारों के समक्ष निविदा की तकनीकी बिड खोली गयी एवं निविदा के साथ प्रस्तुत किये गये नमूनें जांच हेतु भारत सरकार के फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान नोयडा को भेजे गये । एफ.डी.डी.आई. नोयडा (उ0प्र0) के माध्यम से निविदाकारों की डायरेक्ट इन्जेक्टिड एक्सपेन्डिड पी.वी.सोल वाले जूते बनाने की उत्पादन क्षमता का आंकलन कराया गया था ।

क्रय समिति की अनुशंसा अनुसार तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय बिड दिनांक 02.03.2007 को खोले गये, जिसमें न्यूनतम दर मेसर्स चरणपादुका इंडस्ट्रीज लि0 द्वारा पुरूष संग्राहक हेतु रूपये 81.70 प्रतिजोड़ी एवं महिला हेतु रूपये 76.40 प्रति जोड़ी प्रस्तावित किये गये । चूंकि मेसर्स चरणपादुका इंडस्ट्रीज द्वारा मात्र 3.00 लाख जोड़ी चरणपादुका के लिये ही प्रस्ताव दिये गये तथा लगभग 12.65 लाख चरणपादुका क्रय की जानी है इसलिये न्यूनतम प्रस्तावित दर पर चरणपादुका उपलब्ध कराने हेतु अन्य निविदाकारों से सहमति ली गई । चरणपादुका क्रय हेतु शासन द्वारा गठित क्रय समिति द्वारा न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाले निविदाकार (L-1) को 3.00 लाख जोड़ी चरणपादुका, L-2 को 5.00 लाख जोड़ी चरणपादुका, L-3 को 3.50 लाख जोड़ी एवं शेष आवश्यक चरणपादुकायें L-4 से क्रय करने का निर्णय लिया गया । उक्त निर्णय अनुसार चरणपादुका सम्बंधित निविदाकारों से क्रय कर लगभग 12.65 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरणपादुकाएँ उपलब्ध करायी जायेगी ।

(xi) वनौषधि एवं अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज

छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वनाधारित जीविकोपार्जन की परियोजना यूरोपियन कमीशन से स्वीकृत हुई । इसमें छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रेषित **अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुख कार्य** परियोजना 3 वर्षीय है । इसकी लागत रू. 21.20 करोड़ है जो वर्ष 2006-07 से प्रारंभ हो गई है । इस परियोजना क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2007-08 के वन विभाग के स्वीकृत बजट में नवीन मद शीर्ष का गठन कर रू. 11.190 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इस राशि से लघु वनोपज के संसाधन सर्वेक्षण, क्रय/प्रसंस्करण, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य कियान्वित किये जायेंगे । इससे लघु वनोपज संग्राहको की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी । प्राथमिक वनोपज समिति/वन समिति/स्व-सहायता समूहों को सशक्त किया जावेगा । इसके अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के ऐसी 100 प्राथमिक वनोपज समितियों का चयन किया जायेगा, जो संसाधन एवं क्षमता के मामले में दक्ष हो ।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज संवर्धन एवं विकास हेतु घटकवार लक्ष्य का संक्षिप्त विवरण नीचे दर्शाया गया है ।

1. संसाधन सर्वेक्षण

संसाधन सर्वेक्षण के माध्यम से राज्य के विभिन्न वनक्षेत्रों में पायी जाने वाली मुख्य लघु वनोपज तथा उनके उत्पादन का आंकलन कर प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, ताकि भविष्य के लिए लघु वनोपज आधारित विकास रणनीति तैयार कर क्रियान्वित किया जा सके । इसके साथ ही हितग्राही विवरण संबंधित जानकारी भी ज्ञात की जायेगी ।

2. लोक संरक्षित क्षेत्र कार्य

राज्य के 9 जिला यूनियनों के क्षेत्रों में 14 लोक संरक्षित क्षेत्रों का गठन कर कार्य किये जा रहे है । संसाधन सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य औषधि प्रजातियाँ चिन्हांकित कर विनाशविहीन विदोहन प्रक्रिया द्वारा उनका संग्रहण किये जाने हेतु प्रयास किया जावेगा । इस हेतु लोक संरक्षित क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को चक्रीय राशि संबंधित समिति विकास निधि से उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रयास किये जावेंगे । साथ ही प्रसंस्करण तथा वनौषधालय के कार्य में गति लायी जावेगी । इस हेतु समूह सदस्यों को विगत वर्ष की भांति उचित तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

3. लघु वनोपज प्रसंस्करण

लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन द्वारा संग्राहकों को अतिरिक्त रोजगार एवं आय उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न जिला यूनियनों में उपलब्ध मुख्य लघु वनोपज के अनुसार परियोजनाएं स्वीकृत की जायेगी । लघु वनोपज प्रसंस्करण के अन्तर्गत प्रजातिवार विवरण निम्नानुसार है -

3.1 लाख पालन

लाख पालन कार्य के अन्तर्गत 10 जिला यूनियनों में 5 हजार कृषकों को लाख पालन के संबंध में प्रशिक्षण एवं बीहन लाख उपलब्ध करने का लक्ष्य है । इस हेतु लाख सेल द्वारा उपलब्ध होने वाले वित्तीय राशि एवं समितियों के पास उपलब्ध राशि से कार्य क्रियान्वित किया जायेगा ।

3.2 माहुल पत्ता प्रसंस्करण

विगत वर्ष के अनुरूप स्वीकृत 12 परियोजनाओं में एकरूपता के साथ उत्पादन क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जायेगा । इस वर्ष में 6 माइक्रो इन्टरप्राइजेस स्थापित कर माहुल दोना तथा पत्तल उत्पादन में गति एवं सुधार लाया जावेगा । इस कार्य में स्व-सहायता समूह सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण के साथ कार्य संचालन हेतु चक्रीय राशि भी उपलब्ध करायी जावेगी ।

3.3 इमली प्रसंस्करण

इमली प्रसंस्करण के अन्तर्गत बस्तर क्षेत्र की 7 जिला यूनियनों में वर्ष 2007-08 में 5 हजार क्विंटल प्रसंस्कृत इमली क्रय-विक्रय किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । इमली विपणन में आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु विशेष पहल की जावेगी ।

3.4 शहद प्रसंस्करण

शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में 500 क्विंटल का लक्ष्य रखा गया है । इस हेतु 10 जिला यूनियनों को संग्रहण हेतु चिन्हांकन किया जायेगा तथा लगभग 1000 शहद संग्राहकों का चिन्हाकंन कर, विभिन्न प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा शहद संग्रहण कार्य किया जावेगा । शहद बिक्री में आ रही कठिनाई को दूर करने हेतु शहद संग्रहण दर रू. 50/- प्रति कि.ग्रा. निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है ।

3.5 तैलीय बीज प्रसंस्करण

तैलीय बीज प्रसंस्करण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में 10 तैलीय बीज प्रसंस्करण परियोजनाएं स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य है । तद्नुसार 5 हजार क्विंटल तैलीय बीज संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है । इसमें स्थानीय स्व-सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित् की जावेगी ।

3.6 आंवला एवं चिरौजी प्रसंस्करण

आंवला एवं चिरौंजी प्रसंस्करण हेतु क्रमशः 5 एवं 2 परियोजनायें स्वीकृत किये जाने का लक्ष्य है । तद्नुसार 1000 क्विंटल आंवला संग्रहण किया जा चुका है । इसके निर्वर्तन हेतु कार्यवाही जारी है । 500 क्विंटल चिरौंजी संग्रहण एवं प्रसंस्करण करने का लक्ष्य रखा गया है ।

3.7 वनौषधि निर्माण

राज्य के 13 वनौषधालय/उत्पाद केन्द्रों के संचालन में गति लायी जा कर उनका वार्षिक विक्रय लक्ष्य रू. 5.00 लाख प्रति केन्द्र प्राप्त करने का प्रयास किया जावेगा । वनौषधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 3 बड़े वनौषधि उत्पादन केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है ।

3.8 हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

इथनोबोटेनिकल सर्वे के आधार पर परंपरागत औषधि उत्पादों में से उपयुक्त उत्पादों का साईन्टिफिक वेलीडेशन विशेषज्ञों के माध्यम से कराया जायेगा । उपरोक्तानुसार उत्तम पाये जाने वाले उत्पादों के उपयोग हेतु राज्य में 10 वनौषधालय की स्थापना की जावेगी ताकि स्थानीय स्तर पर हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा मिल सके ।

उपरोक्त समस्त कार्यों में वार्षिक लक्ष्य का संक्षिप्त विवरण तालिका में दर्शाया गया है ।

क्र	प्रजाति/उत्पाद	माइक्रो इन्टरप्राइजेस की संख्या	लाभन्वित होने वाले स्व सहायता समूहों की संख्या (न्यूनतम)	लघु वनोपज लक्ष्य	
				मात्रा क्विं में	विक्रय मूल्य लाख में
1	कच्चे लघु वनोपज	10	100	2000	50
2	लाख	10	200	1000	80
3	माहुल पत्ता	12	50	10000	50
4	इमली	7	100	5000	90
5	शहद	10	100	500	30
6	तैलीय बीज	10	20	5000	40
7	आंवला	5	5	1000	30
8	चिरौजी	2	2	500	10
9	वनौषधि	13	13	-	100
योगः-		**79**	**590**	**25000**	**480**

4. विपणन

छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्राण्ड को बढ़ावा देने हेतु स्थापित 6 NWFP मार्ट को अधो संरचना एवं कार्यपूंजी हेतु रू. 1.00 करोड़ प्रदाय किया जायेगा ताकि विपणन कार्य में गति आ सके । विपणन में गति लाने हेतु ऑन लाईन एम.आई.एस. का विकास किया जायेगा ।

हर्बल उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु राज्य के बाहर हर्बल उत्पाद बिक्री के लिए एजेन्ट नियुक्त किए जावेंगे ।

1. समचार पत्रों में विज्ञापन तथा सेल्सपर्सन के माध्यम से समस्त जिलों में 100 संजीवनी केन्द्र तथा 100 सेल्स एक्सीक्यूटिव नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
2. ब्रांड प्रमोशन हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जावेगा ।
3. हर्बल उत्पाद की थोक बिक्री हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवायें ली जावेंगी ।

5. सूचना प्रबंधन प्रणाली

इस घटक के अंतर्गत संघ मुख्यालय को विभिन्न जिला यूनियनों के साथ कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा साफ्टवेयर के माध्यम से जोड़कर जानकारी आदान-प्रदान की जायेगी ताकि जानकारी के संग्रहण, संकलन एवं विशलेषण में समय की बचत हो एवं मानव श्रम का सही उपयोग हो । इस प्रणाली द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन तैयार किए जा सकेगें ताकि आवश्यकतानुसार वनोपज क्रय एवं ब्रिकी में गति लायी जा सके ।

6. अनुसंधान एवं विस्तार

अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास कार्य संपादन करने हेतु उत्तम संग्रहण विधि, प्रसंस्करण विधि एवं नये उत्पाद विकसित करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है । तद्नुसार इस कार्य के लिए विशेषज्ञों की सेवायें ली जायेगी ।

7. क्षमता विकास

अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास में दूरगामी परिणाम लाने हेतु प्राथमिक वनोपज समिति/वन समिति एवं स्व सहायता समूहों का क्षमता विकास करना आवश्यक है । इसके लिए राज्य के 913 प्राथमिक वनोपज समितियों से उपरोक्त संसाधन एवं क्षमता के आधार पर 100 समितियों को चिन्हांकित कर, क्षमता विकास कार्य किये जायेंगे । इस हेतु प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा कार्यशाला आदि आयोजित किये जायेंगे । साथ ही संलग्न वन कर्मचारियों की क्षमता विकास हेतु भी प्रयास किये जायेंगे ।

8. हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

छत्तीसगढ़ राज्य के परंपरागत औषधि ज्ञान का सर्वेक्षण कर उन्नत वनौषधि/हर्बल उत्पाद वनौषधालयों के माध्यम से निर्माण कर, स्थानीय ग्रामीणों को उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जावेंगे । इससे परंपरागत औषधि ज्ञान के पहचान के साथ अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी ।

9. योजना क्रियान्वयन हेतु अमले की व्यवस्था

उपरोक्त कार्य क्रियान्वयन करने के लिए पूर्व के अनुसार वन विभाग एवं संघ के कर्मचारियों की सहायता ली जावेगी । मार्केट लिंकेज एवं समूह या समिति सशक्तिकरण आदि हेतु अतिरिक्त अमले की आवश्यकता होगी । इस हेतु संबंधित परियोजना की वित्तीय सीमा के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार दक्ष युवाओं को संविदा पर नियुक्त कर कार्य क्रियान्वयन करना प्रस्तावित है ।

10. वित्तीय व्यवस्था

उपरोक्त कार्य सम्पन्न करने हेतु विभिन्न विभागों एवं स्त्रोंतो से प्राप्त होने वाली राशि का विवरण तालिका में दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान नई परियोजनायें तैयार करते हुए संबंधित को प्रेषित कर राशि प्राप्त करने का प्रयास किया जावेगा । साथ ही वन समिति/प्राथमिक वनोपज समिति के पास उपलब्ध राशि एवं अन्य संसाधनो का भी आवश्यकतानुसार उपयोग किया जावेगा ।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में विभिन्न योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशि (अनुमानित)

क्र	घटक	वित्तीय स्त्रोत वार उपलब्ध राशि (रू. लाख में)									
		संघ	राज्य शासन				भारत शासन		विदेशी सहायता		
			आदिवासी उपयोजना	लाख सेल	बस्तर विकास प्राधिकरण	सरगुजा विकास प्राधिकरण	आदिवासी मामलों का मंत्रालय	एन.एम. पी.बी.	यूरोपियन कमीशन	आई.डी. आर. सी. कनाडा	योग
1	संसाधन सर्वेक्षण								50		**50**
2	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुख कार्यक्रम			20	50	50	200		684		**1004**
3	विपणन				50	50		10	90		**200**
4	सूचना प्रबंधन प्रणाली								53		**53**
5	अनुसंधान एवं विस्तार								55		**55**
6	क्षमता विकास				50	50			63	15	**178**
7	प्रमाणीकरण								49		**49**
8	हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा								91		**91**
9	लोक संरक्षित क्षेत्र स्थापना	223	250								**473**
योग		**223**	**250**	**20**	**150**	**150**	**200**	**10**	**1135**	**15**	**2153**

विषय क्रमांक - 5

विषय : वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये बजट की स्वीकृति ।

वर्ष 2007-2008 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

अनुमानित व्यय

(अ) लघु वनोपज संग्रहण व्यय -

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रू. लाख में)
1.	तेंदू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	17.95	लाख मा.बो.	655.00 प्रति मा.बोरा	11757.25
2.	सालबीज	40000	टन	3600.00 प्रति टन	1440.00
3.	हर्रा	2250	टन	2600.00 प्रति टन	105.00
		1500	टन	3100.00 प्रति टन	
4.	कुल्लू गोंद	36	टन	140600.00 प्रति टन	62.69
		12	टन	100600.00 प्रति टन	
5.	धावड़ा, खैर, बबूल, गोंद	31.2	टन	25600.00 प्रति टन	20.13
		46.8	टन	25940.00 प्रति टन	
योग					**13385.07**

(ब) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर व्यय -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1	लोक संरक्षित क्षेत्र स्थापना	
	(अ) संघ मद	223.00
	(ब) आदिवासी उपयोजना	250.00
	योग	**473.00**
2	लाख उत्पादन	20.00
	योग	**20.00**
3	अराष्ट्रीकृत लघुवनोपज विपणन एवं विकास	
	(अ) बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से	150.00
	(ब) सरगुजा विकास प्राधिकरण के माध्यम से	150.00
	योग	**300.00**
4	यूरोपियन कमीशन की सहायता से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुख कार्य	1135.00
	योग	**1135.00**

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
5	आई.डी.आर.सी. कनाडा की सहायता से सर्वेक्षण एवं क्षमता विकास	15.00
	योग	**15.00**
6	भारत सरकार से प्राप्त राशि (अ) आदिवासी मामलों के मंत्रालय से (ब) एन.एम.पी.बी. मद में	 200.00 10.00
	योग	**210.00**
महायोग		**2153.00**

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (लाख में)

अ.क्र.	विवरण	वर्ष 2006-2007 का बजट अनुमान	वर्ष 2006-2007 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2007-2008 हेतु प्रस्ताव
1.	वेतन भत्ते	100.00	64.36	100.00
2.	चिकित्सा व्यय	10.00	6.69	10.00
3.	यात्रा भत्ता	5.00	3.76	5.00
4.	अन्य भत्ते/व्यय	12.00	13.96	15.00
5.	लेखन सामग्री छपाई	25.00	12.00	15.00
6.	पोस्टेज/टेलीफोन	5.50	4.84	5.50
7.	भवन किराया/बिजली	20.00	16.54	20.00
8.	विज्ञापन प्रचार/प्रसार	30.00	9.29	20.00
9.	संचालक मंडल तथा आमसभा	1.00	0.60	2.00
10.	वाहन व्यय	14.00	14.12	15.00
11.	प्रशिक्षण	25.00	5.21	20.00
12.	विविध आकस्मिक	5.00	10.64	11.00
13.	अंकेक्षण शुल्क	30.00	10.00	10.00
14.	न्यायालयीन व्यय	4.00	2.35	4.00
15.	घसारा	300.00	270.00	300.00
16.	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	100.00	97.24	100.00
	योग :-	**686.50**	**541.60**	**652.50**

(द) पूंजीगत व्यय (लाख में)

1.	स्थायी संपत्ति हेतु प्रावधान	150.00	36.24	150.00
2.	शासकीय ऋण का भुगतान	175.00	174.00	175.00
3.	अंशपूंजी क्रय	5.00	1.25	5.00
4.	संघ कर्मचारियों को भवन निर्माण ऋण	10.00	51.69	65.00
5.	संघ कर्मचारियों को वाहन ऋण	2.00	0.00	2.00
6.	वाहन खरीदी हेतु प्रावधान	30.00	4.56	20.00
	योग :-	**372.00**	**267.74**	**417.00**

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वतन से आय

वर्ष 2007-2008 में वनोपज की बिक्री से रू. 35455.475 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	**वनोपज का नाम**	**प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)**
1.	तेंदूपत्ता	33069.45
2.	सालबीज	2080.13
3.	हर्रा	136.560
4.	कुल्लू गोंद	115.845
5.	धावड़ा,गोंद	53.49
	योग	**35455.475**

वनोपजवार आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	**विवरण**	**राशि (रूपये लाख में)**
(अ)	**तेंदूपत्ता**	
1. क.	वर्ष 2007 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 17.95 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 17.95 लाख मानक बोरा के विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90 % राशि ।	**30645.45**
ख.	वर्ष 2008 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 17.95 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.16 लाख मानक बोरा के विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 10 % राशि	**2424.00**
	योग	**33069.45**

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(ब)	**सालबीज**	
1.	वर्ष 2006 की अवशेष मात्रा 8 टन के विक्रय से प्राप्त योग्य विक्रय मूल्य का 30 %	0.13
2.	वर्ष 2007 सीजन में अनुमानित संग्रहित मात्रा 40000 टन के रू. 5200/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	2080.00
	योग :-	**2080.13**
(स)	**हर्रा**	
1.	वर्ष 2000-2001 संग्रहण काल की अवशेष मात्रा 2.10 टन के रु. 300/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.006
2.	वर्ष 2001-2002 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 1.30 टन के रु. 300/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.004
3.	वर्ष 2004-2005 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 0.53 टन के रु. 400/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.002
4.	वर्ष 2005-2006 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 155.76 टन के रु. 1500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	2.340
5. क.	वर्ष 2006-2007 की माह फरवरी 2006 में विक्रीत अधिसूचित मात्रा 1490.00 टन के विक्रय मूल्य का 90 % राशि ।	35.090
ख.	वर्ष 2006-2007 संग्रहित होने वाली मात्रा 430 टन जो संग्रहित होगी के लिये रू. 2250/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	9.680
6.	वर्ष 2007-2008 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 5000 टन की 75% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 2650/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	89.438
	योग :-	**136.560**
(द)	**कुल्लू गोंद**	
1.	वर्ष 2003-2004 सीजन की अवशेष मात्रा 0.025 टन के रू. 20,000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.005
2.	वर्ष 2006-2007 सीजन में संग्रहित होने वाली मात्रा 68 टन के विक्रय मूल्य रु. 102.08 लाख का 50%	51.040
3.	वर्ष 2007-2008 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 80 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 150000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	64.800
	योग :-	**115.845**
(इ)	**धावड़ा, गोंद**	
1.	वर्ष 2001-2002 की अवशेष मात्रा 0.30 टन के रू. 2,000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.01
2.	वर्ष 2002-2003 की अवशेष मात्रा 0.14 टन के रू. 7000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.01

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
3. क	वर्ष 2006-2007 सीजन में संग्रहित होने वाली 93.5 टन मात्रा के अग्रिम विक्रय से इस वर्ष प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	16.45
ख	वर्ष 2006-2007 सीजन की वर्ष 2007-2008 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष मात्रा 72.5 टन के रू. 25,940/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	18.81
4.	वर्ष 2007-2008 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 130 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 25940/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	18.21
	योग :-	**53.49**
	महायोग आय :-	**35455.475**

(ब) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1	लोक संरक्षित क्षेत्र स्थापना (अ) संघ मद (ब) आदिवासी उपयोजना	 223.00 250.00
	योग	**473.00**
2	लाख उत्पादन	20.00
	योग	**20.00**
3	अराष्ट्रीकृत लघुवनोपज विपणन एवं विकास (अ) बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से (ब) सरगुजा विकास प्राधिकरण के माध्यम से	 150.00 150.00
	योग	**300.00**
4	यूरोपियन कमीशन की सहायता से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुख कार्य	1135.00
	योग	**1135.00**
5	आई.डी.आर.सी. कनाडा की सहायता से सर्वेक्षण एवं क्षमता विकास	15.00
	योग	**15.00**
6	भारत सरकार से प्राप्त राशि (अ) आदिवासी मामलों के मंत्रालय से (ब) एन.एम.पी.बी. मद में	 200.00 10.00
	योग	**210.00**
महायोग		**2153.00**

प्रारंभिक स्कन्ध

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेंदू पत्ता	0.000
2.	सालबीज	0.130
3.	हर्रा	47.122
4.	कुल्लू गोंद	51.045
5.	गोंद वर्ग 2	35.280
	योग :-	**133.577**

अंतिम स्कन्ध का मूल्य

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेंदू पत्ता	0.000
2.	सालबीज	0.000
3.	हर्रा	9.938
4.	कुल्लू गोंद	7.200
5.	गोंद वर्ग 2	2.023
	योग	**19.161**

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	35455.475
2.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	2153.00
	योग	**37608.475**
3.	अंतिम स्कन्ध का मूल्य	19.161
	महायोग	**37627.636**

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	13385.07
2.	कार्यालयीन व्यय	652.50
3.	पूंजीगत व्यय	417.00
4.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	2153.00
	योग	**16607.570**
5.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	133.577
	महायोग	**16741.147**

आधिक्य (लाख में)

कुल आय	37627.636
कुल व्यय	16741.147
शुद्ध आय	20886.489
प्राथमिक समितियों को देय राशि	20886.489

नोटः- 1. उपरोक्त शुद्ध आय में से संघ द्वारा स्वयं का कमीशन रूपये 1/- मात्र एवं जिला यूनियन की कमीशन की राशि रु. 1/- मात्र काट कर शेष समस्त शुद्ध आय शासनादेशानुसार वितरित की जायेगी ।

2. समितियों द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के व्यापार से भी आय अर्जित की जावेगी जो प्राथमिक समितियों की स्वयं की आय होगी ।

<u>विषय क्रमांक - 6</u>

विषय : वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 की स्थिति ।

वित्तीय वर्ष 2000-01 (01.11.2000 से 31.03.2001), 2001-02 एवं 2002-03 के व्यापार पत्रक, लाभ हानि पत्रक व स्थिति विवरण पत्रक पूर्ण कर संचालक मण्डल की 26वीं बैठक दिनांक 12.01.2007 में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये थे । संचालक मंडल द्वारा उक्त विषय पर निम्न निर्णय लिया गया ''प्रस्तुत वित्तीय पत्रकों का संचालक मंडल द्वारा अवलोकन किया गया तथा आडिट कराने बाबत् निर्देशित किया गया'' ।

संचालक मण्डल के निर्देशानुसार उक्त लेखों का अंकेक्षण पूर्ण करने हेतु पंजीयक से अनुरोध किया गया हैं, परंतु अंकेक्षण कार्य पूर्ण नहीं हुआ हैं ।

अंकेक्षण पूर्ण होने के उपरांत सम्परीक्षा रिपोर्ट आगामी सभा में प्रस्तुत की जावेगी ।

अतः वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के लेखों की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के माननीय संचालक मण्डल

संघ के अध्यक्ष

- माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष,
  छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर

संघ के संचालक मण्डल के सदस्यगण

- अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग
- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग,
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग
- पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ छत्तीसगढ़, रायपुर
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर
- मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, रायपुर
- प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, छत्तीसगढ़, रायपुर

संघ के संचालक मंडल में अन्य संस्था के नामांकित सदस्य

- श्री कुश वर्मा, कार्यकारी संचालक, ट्रायफेड नई दिल्ली
- श्री भरत लाल, संचालक, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, भारत शासन नई दिल्ली ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभागीय पदनाम
1.	श्री ए.के.सिंह	प्रबंध संचालक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2.	श्री बी.एल.सरन	कार्यकारी संचालक (वित्त/व्यापार)	मुख्य वन संरक्षक
3.	श्री आर.सी.रैगर	कार्यकारी संचालक (स्थापना/विकास)	मुख्य वन संरक्षक
4.	श्रीमती अनिता नन्दी	वन संरक्षक (टास्क फोर्स)	वन संरक्षक
5.	श्री बी.आनन्द बाबू	उप महाप्रबंधक (टास्क फोर्स)	उप वन संरक्षक
6.	श्री एस.के.एस.सिसोदिया	सचिव (अतिरिक्त प्रभार में)	उप पंजीयक, सह.समितियां
7.	श्री एच.के.नागदेव	प्रबंधक (वित्त)	उप पंजीयक, सह.समितियां
8.	श्री एस.के.दत्ता	प्रणाली विश्लेषक	प्रणाली विश्लेषक
9.	श्री डी.पी.टावरी	प्रबंधक (लेखा)	सहायक पंजीयक, सह.समितियां
10.	श्री व्ही.के.सेंदूर	उप प्रबंधक (उत्पादन/भंडारण)	सहायक वन संरक्षक